	REGD. NO D. L-33004/	99
	असाधारण	
	EXTRAORDINARY	• 7
	भाग III — खण्ड 4	
	PART III-Section 4	•
	प्राधिकार से प्रकाशित	
	PUBLISHED BY AUTHORITY	
सं. 319]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2001/अग्रहायण 7, 1923	
No. 319]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2001/AGRAHAYANA 7, 1923	

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001

सं. टीएएमपी/61/2001-भीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार कलकत्ता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्म के बीच वार्जी द्वारा कंटेनरों की ढुलाई के लिए दरें निर्धारित करने के वास्ते कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

(मामला स0 टीएएमनी/61/2001-सीपीटी)

कलकत्ता पत्तन न्यास सीपीटी)

आदेश

(नवम्बर,2001 के 5वे दिन पारित किया गया)

यह मामला कलकत्ता डॉक सिस्टम (सीडीएस) और हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स (एवटीसी) के बीच बार्जी द्वारा कर ज की बुलाई के लिए दरे निर्धारित करने के वास्ते कलकत्ता पतन न्यास से प्राप्त एक प्रस्ताव स संबंधित हे ।

21 सीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुद्दे उटाए है -

(i) सीडीएस के नदी ड्राफ्ट में अचानक गिरावट आने से सीडीएस में कटेनर यातायात विशेषकर निर्यातों म अगरत 2000 से गिरावट आनी आरम हो गई थी । कम से कम तीन मुख्य लाउन आपरटरा अर्थाम मेर्यरूग, पीएएदआ और एनओएल (एपीएल) ने अपने कार्यकलाप सीडीएस से हटा लिए है । अब कटनरा की एचडीसी तक उुटाई सडक परिवहन द्वारा की जाती हैं, जहा से उनका बाद में पातलदान किया जाता है । वर्ष 2000-2001 में 189825 टीईयू के अनुमानित प्रहस्तन की तुलना में सीडीएस में कंपल 137845 टीईय का प्रहस्तन हो सफा जाकि पिछले वर्ष की तुलना में 9454 टीईयू कम है ओर वर्ष 2000-2001 के अनुमानित उत्पादन ही तुराना में 21,960 टीईयू कम हे । इसके परिणामस्वरूप 287 कराड रूपए का अनुमानित राजस्व का घाटा हुआ ह ।

अविदव

=		
-	(iı)	यद्यपि, सीडीएस में नदी ट्राफ्ट में सुधार लाने के लिए समी उपाय किए जा रहे हैं, फिर मी नदी के इस हिस्से में ऐसी कार्रवाई की निश्चितता की मात्रा का पूर्वानुमान नही लगाया जा सकता । इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, सीडीएस में कटेनर यातायात को बनाए रखने के लिए सीडीएस और एचडीसी के बीच कंटेनरों की बार्जी द्वारा दुलाई करने के लिए उपाथ करने की आवश्यकता महसूस की गई है ।
	(1ii)	सीपीटी ने गैर–सीपीवाई बर्थों में बार्जों द्वारा कंटेनरों का प्रहस्तन करने के लिए सीडीएस में 6 महीने के वास्ते प्रयोग के तौर पर निम्नलिखित समेकित दरे लागू करने का प्रस्ताव किया है '
		(क) 20 फुट कटेनर के लिए – 2300/-रुपए प्रति टीईयू
		(ख) ४० फुटे कंटेनर के लिए – उपर्युक्त दर का 15 गुना
		(ग) 40 फुट लंबाई से अधिक वाले कंटेनर — उपर्युक्त (क) से दुगुनी दर
		(घ) प्रति बार्ज आपरेटर प्रति वर्ष 20,000 टीईयू से अधिक वृद्धिकारक यातायात पर 150/-रुपए प्रति टीईयू की छूट
	(iv)	सीपीटी ने सीडीएस और एचडीसी के बीच ढुलाई किए जाने वाले कटेनरो के लिए 2000/-रुपए प्रति टी ईयू+ 10% विशेष दर की एक समेकित दर का भी प्रस्ताव किया है, जोकि एचडीसी में देय हो (क्योकि 10% की छूट वर्तमान मामले मे लागू होगी और प्रमावी दर 1800/~रुपए + 10% विशेष दर अर्थात 1980/-रुपए प्रति टीईयू होगी) । प्रस्तावित दर को दरो के मान में निम्नलिखित नामावली के अतर्गत शामिल किया जाना है:-
		''खण्ड 18.1.11 बार्जों से क्वे मे कटेनर की उतराई, स्टैक यार्ड से लिफ्ट ऑफ ढुलाई संहित स्टैक यार्ड मे ढुलाई और पोतो में अंतत लदान के लिए क्वे मे वापसी हेतु लिफ्ट ऑन संहित अथवा विलोमत, जिसमें किसी पत्तन उपस्कर का प्रयोग न किया गया हो ।''
		दरों के मान में निम्नलिखित टिप्पणी को भी शामिल करने का प्रस्ताव है :
		"18 14 (क) खंड संठ 18.1.11 के अंतर्गत भारित कंटेनर खंड 18.1 के अंतर्गत क्रम संठ 1 में प्रमारों पर 10% की दर पर छूट के लिए पान्त्र होगा ।
		(ख) किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए, जिनका खण्ड 18.1.11 में उल्लेख नहीं किया गया है, प्रमार खंड 18.1.11 में उल्लिखित प्रमार के अतिरिक्त दरों के मान में संबंधित प्रावधानों के अनुसार लगाए जाएंगे ।
		(ग) खंड 18111 के अंतर्गत दर केवल सीपीटी (एचडीसी) द्वारा प्रचालित बर्धों पर लागू होगी।''
2.		प्रस्तायित वरों के समर्थन में सीपीटी ने निम्नलिखित औचित्य दिए हैं :
	(i)	11 फरवरी,1993 से प्रमावी दरों के मान में कंटेनर की कलकत्ता से दुलाई और अंततः एक्डीसी से पोतलवान अथवा विलोमतः के लिए सब कुछ शामिल करते हुए 1000∕–रुपए प्रति टीईयू का पतन प्रमार शामिल था। परंतु, कुछ कारणवश बार्जो द्वारा कंटेनरों की ऐसी अंतर–डॉक दुलाई संमव नहीं हो सकी और इस प्रकार 1996 तथा 2001 में संशोधित दरों के माग मे कोई विशिष्ट दर शामिल नहीं की गई है ।
	(ii)	यदि 10% की वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर मानी जाती है, तब वर्ष 1992–93 में 1000/-रूपए प्रति टीईयू की दर मानते हुए सीडीएस में वर्तमान दर 2358/-रुपए प्रति टीईयू (कम करके 2300/-रुपए) बैठती है और एचडीसी में यह दर 2000/-रुपए प्रति टीईयू बैठती है ।
3.		सीपीटी के न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।
1		मैसर्स कैपस्टन शिपिंग एण्ड एस्टेट्स लिमिटेड (सीएसई) ने कोलकाताहल्दियाकोलकाता के बीच कंटेनर बाज सेवा के लिए एक विशेष पत्तन प्रमार गिर्धारित करने के वास्ते एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है । इस आवेदन पत्र को एक अलग मामले (मामला सं0 टीएएभपी/59-/2001सीपीटी) के रूप में पंजीकृत किया गया है और तदनुसार कार्रवाई की गई है । इन दोनों मामलों के परस्पर सबद्ध स्वरूप के मददेनजर, यह प्राधिकरण इन पर एक साथ विचार करने का निर्णय करता है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

32

सीएसई में अपमें आवेदम-पत्र में निम्नलिखिल मुद्दे उठाए हैं 🚝

- (i) हमने एक कंटेनर बार्ज फीडर सेवा विकसित की है । हमने कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) से व्यापक विचार--वियर्श किया है । हमने ध्यापार जगत और नौवहन को शामिल करते हुए एक विस्तृत बाजार सर्वेक्षण भी किया है और विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से तुलनात्मक लागत चार्ट पत्तन को दिखाए हैं, ताकि वह बार्ज सेवा के लिए एक तर्कसंगत कंटेनर---संबद्ध प्रमार की सिफारिश कर सके ।
- (ii) विशेषकर सीडीएस में यातायात बनाए रखने के साथ--साथ एचडीसी मे यातायात में वृद्धि करने के लिए समी ने इस बात की प्रशंसा की थी कि क्रेनों, पहुंच स्टैकरों, ट्रेलरों इत्यादि जैसे तटीय उपस्करों पर मिजी गिवेश के साथ दौनों डोंक प्रणालियों में कम लागत और प्रचालनात्मक दक्ष कटेनरे बार्ज सेवा से कटेनर आपरेटर परिवहन के वैकल्पिक माध्यमों की बजाय बार्ज सेवा के प्रति आकर्षित होंगे ।
- (iii) सीपीटी ने हमारे द्वारा प्रस्तावित 1500 / रूपए प्रति टीईयू की बजाय 2300 / रूपए प्रति टीईयू की बॉक्स दर का निर्णय किया है और 20,000 टीईयू प्रति वर्ष से अधिक की मात्रा के लिए 150 / - रूपए प्रति टीईयू की मात्रा सबंधी छूट देने का प्रस्ताव किया है ।
- (iv) हल्दिया के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया । हल्दिया पत्तन प्रमारों के संबंध में निर्णय के बिना कंटेनर बार्ज सेवा सम्पदत प्रचालन आएम नहीं कर सकती ।
- (v) सीपीटी ने हमें प्रचालकों के रूप में सेवा आएंभ करने का परामर्श दिया था । सीपीटी ने परामर्श दिया था कि छह महीने के बाद मामले की आगे समीक्षा की जाएगी. ताकि कार्यनिष्पादन और व्यापार जगत की मांग जे अनुसार अधिक रियायत दी जा सके ।
- (vi) हमने स्पष्ट किया था कि सेवा केवल हमारे द्वारा दिए गए लागत पैकेज के अनुसार हो संचालनीय होगी । परियोजना तब संचालनीय महीं होगी, यदि सेवा उत्पाद लागत सड़क और रेल माध्यम की तुलना में सस्ती गहीं बैठती है ।
- (vii) चूकि, अभी तक कोई बार्ज प्रचालन नहीं है, विशेष बार्ज प्रशुल्क निर्धारित करने की सहमति हुई थी और हमारी विभिन्न प्रस्तुतियों के दौरान यह उत्सेख किया गया था कि कटेनर बार्ज सेवा से दोनों ही डॉक प्रणालियों को लाम होगा । इसी प्रकार की सेवा को पहले 50% की छूट प्रदान की गई थी ।
- (viii) एचडीसी के इसके बोर्ड की जुलाई बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव को एक असगत उच्च दर के द्वारा सैयार किया गया था और इस दर से पत्तन ने 935/-रुपए प्रति टीईयू की छूट का पूर्वानुमान लगाया है ।
- (ix) नौधहन मंत्रालय से हमें पता चला है कि उनका यह मत था कि दोनों डॉक प्रणालियों में पत्तन प्रमार इस तरह तैयार कर जार कि बार्ज सेवा उत्पाद की कुल लागत का पैकेज सडक और रेल से सफ्ता हो ।
- (x) हमने बार्जों को किएए पर लेने सहित सेवा के लिए बार्ज हार्डवेयर राधापित करने, बार्जों के लदान / उतराई के लिए खार तटीय क्रेने जुटाने, तट पर खुलाई के लिए रीच स्टैकर्स और ट्रेलर जुटाने तथा पूर्णतया कंप्यूटरीकृत पोर्टनेट प्रणाली स्थापित करने पर हम पहले की काफी निवेश कर चुके हैं।
- (xi) एक तर्कसंगत दर निर्धारित की जाए ताकि यह कटेनर बार्ज फीडर सेवा आरम की जा सके । इम उपपकर के साथ तैयार हैं और सेवा शीध आरम करने के बारे में आजार के साथ पिछले कुछ महीनों से विवार-विभर्श कर रहे हैं और इसलिए हमारी अपील की सुनवाई होने तथा कोई नियत दर निर्धारित करने तक, कुछ महीनों के लिए वैध, कोलकाता और हल्दिया के बीच विभाजन करते हुए 3000/-रूपए प्रति टीईयू से अधिक नहीं का एक संदर्थ पत्तन प्रभार निर्धारित करें ।

4 सीपीटी के प्रस्ताब की एक प्रति और सीएसई तिमिटेड के अभ्यावेदन की एक प्रति समी संबंधित प्रयोक्ताओं/ पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को भेजी गई थी । सीएसई के अभ्यावेदन की एक प्रति सीपीटी को मी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी । प्राप्त टिप्पणियों का साराश नीये दिया गया है -

कलकत्ता सीमाशुल्क गृह एजेद्स संघ (भीसीएचएए)

- (i) कंटेनरों की सड़क द्वारा ढुलाई और बार्ज द्वारा ढुलाई में लागत का अंतर केवल 160/-रुपए प्रति टीईयू है।
- (ii) दिए गए टीएचसी का अभी तक एएसआईसी द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है । अनुमोदन के बाद टीएचसी अधिक भी हो सकता है ।
- (m) हम महसूस करते हैं कि दर गिम्नवत् होनी चाहिए -

(क) 20' कंट्रेनर के लिए	
(ख) 40' कटेनर के लिए	– उपर्युक्त दर का 15 गुमा अर्थात 1 5 00∕–रुपए
(ग) 40' से अधिक लबाई वाते कटेनर	- क्रम स0 (ख) रो 28% अधिक अर्थात 1875/रुपए

- (iv) उपर्युक्त प्रस्तावित दरो से पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय प्राप्त होगा, जोकि सडक द्वारा ढुलाई का कम रे कम 70% होगा यह व्यापार जगत के लिए हल्दिया के लिए पहुंच मार्ग पर विचार करने के लिए सहायक होगा ।
- (v) 50 अमरीकी डॉलर प्रति टीईयू का ड्राफ्ट अधिभार (एएसआईसी द्वारा निर्धारित) अब वसूत नही किया जा रहा है, इस प्रभार का पुन नामकरण करके कलकत्ता पत्तन अधिमार कर दिया गया है और कुछ लाइन्स 30 अमरीकी डॉलर प्रति 20' और 60 अमरीकी डॉलर प्रति 40' वसूल कर रही हैं ।
- (v1) मार्जी का प्रचारान करने वाले स्टीमर एजेट को छूट नही दी जाएगी । यह छूट गिर्यातको और आयातको को दी जागी है अथवा उनको दी जानी है जोकि 200 / -- रुपए प्रति टीईयू प्रतिमाह के लिए 200 टीईयू अधवा टीएएमपी और कलकत्ता 4तन न्यास द्वारा निर्धारित किए जाने वारो भात्रा सबधी जह्य का प्रस्ताव करते हैं।

पूर्वी मारत पोतस्वामी सघ (ईआईएसए)

- (1) कलकत्ता से हल्दिया तक बार्ज द्वारा कटेनर की बुलाई की पूरी श्रृखला को ध्र्यान में रखते हुए सडक परिवहन माध्यम की तुलना में बार्ज विकल्प को काफी अस्ता बनाने का प्रयास होगा और इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित बार्ज द्वारा बुलाई वास्तव में आरम हो सके, कम से कम 1500/-रुपए प्रति टीईयू का लागत अतर रखने पर विचार करना होगा ।
- (ii) जब तक इसकी प्रचालनात्मक दक्षता साबित गही हो जाती, तब तक आरंभिक चरणो में धातायात आकर्षित करने के लिए एक सर्व्यनात्मक प्रशुल्क आवश्यक होगा ।
- (m) अधिक मात्रा मे प्रहस्तन, कोलकाता/हस्दिया के बीच पारंगमन समय, रात्रि नौवहन सुविधाओं की उपलब्धता/ अनुपलब्धता, बार्जों की लदान क्षमता जैसे कार्यों को मी ध्यान में रखना होगा और परिवहन के अन्य माध्यमों की तुलना में आगे रहने के लिए बार्ज ढुलाई के लिए पर्याप्त प्रतिपूर्ति करनी होगी ।

भास्टर जहाजी कुली सध

(i) कलकत्ता से और वहा तक बार्जों द्वारा कटेनरों की दुलाई के लिए सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर बहुत अधिक है, समुद्री प्रभारों को हिसाब में लेने के बाद, यह दर सडक और रेल द्वारा बुलाई की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं है ।

- (ii) जब तक सड़क और रेल द्वारा ढुलाई की तुलना में बार्जी द्वारा कटेनरों की ढुलाई की समग्र लागत प्रतिस्पर्धी महीं बनती है, तब तक बार्जी द्वारा कंटेनरों की प्रस्तावित ढुलाई आकर्षक नहीं होती, जिससे परिणामस्वरूप सीपीटी अन्तत. घाटे में रहेगां ।
- (iii) यदि बार्ज खुलाई को प्रोत्साहित किया जाता है, तब अन्तर्देशीय जल परिवहन को भी प्रोत्साहित करना होगा, जोकि काफी समय से देथ है ।

कलकत्ता में नौवहन हितचारकों का सघ (एएसआईसी)

- (i) यद्यपि प्रस्ताबित सेवा कोलकाता/हल्दिया में व्यापार जगत के लिए व्यवहार्य दिखाई देती है, परंतु यह पूरी तरह व्यापार जगत अर्थात आयातकों और निर्यातकों द्वारा स्वीकार किए जाने पर निर्मर करती है ।
- (ii) सेवा की दक्तता आधारभूत ढांचे/उपस्करो की पर्याप्त उपलब्धता और बार्जों के निश्चित बेडे सहित सभारतंत्र
 की सहायता पर निर्भर करेगा ।
- (iii) जहां तक उपस्करो और संभारतंत्र का संबंध है, इस चरण में एएसआईसी को सभी संबंधित आपरेटरो के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है । इसलिए, एएसआईसी आगे वास्तविक टिप्पणियां सभी कर संकेगा जब एक बार सेवा आरंम हो जाती है और एक निश्चित अवधि के लिए चलती है ।

बंगाल वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (बीसीसीआई)

- (i) प्रशुल्क संबधी अवरोधों के कारण आरम में यातायात हल्तिया की ओर विपथित हो गया है और समी प्रमुख लाइन्स ने हल्दिया डॉक कॉप्लेक्स के बाहर प्रचालन करने का निर्णय किया है । व्यापार जगत से जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया है कि व्यापार जगत और लागत वहन नहीं कर सकता ।
- (ii) फीडर आपरेटरो को इससे कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्हें सीडीएस में आने की जरूरत न पडती हो । इससे उन्हे प्रचालन में बचत होती है । यह मामला शुद्धतः फीडर आपरेटरों और बार्ज आपरेटरो के बीच का है । यदि फीडर आपरेटर बार्ज सेवा के उपयोग को बचत की दृष्टि से व्यवहार्य पाता है तो वह इसको अपना संकता है ।

कलकसा वाणिज्य एव उद्योग भंडल (सीसीसीआई)

- (i) कलकत्ता डॉक की तुलना में हल्दिया डॉक के माध्यम से कंटेनर कार्गो प्रहस्तन काफी सस्ता पडता है । इस प्रकार, सीडीएस मे सेवा प्रमार एवडीसी के साथ प्रतिस्पर्धी होंगे ।
- (ii) सेवा प्रमार ऐसे नहीं होने चाहिए कि निर्यातकों और आयातको के हितों को हानि पहुंचे ।
- (iii) बार्जी द्वारा कटेनरो की जुलाई के प्रभार सडक परिवहन प्रणाली के प्रमारों के साथ प्रतिस्पर्धी अवश्य होने चाहिए।
- (iv) प्रमार इस प्रकार होने चाहिए कि वे पत्तन प्राधिकारियों और निर्यातकों/आयातको, दोनों के लिए लाभवायक हों।

भारतीय नौवरून निगम लिमिटेज (एससीआई)

- (i) बार्ज सेवा से केवल कलकत्ता से इस्दिया की ओर पोतो का विपथन हो जाएगा और इससे सीडीएस मूलतः केवल बार्जों के लिए डॉक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा । यह स्पष्ट है कि सीपीटी कंटेनर यातायात को सीडीएस मे वापस लाने का इच्छुक है । यदि सीडीएस ने फीडर पोतो की बजाय केवल बार्जों को सेवाएं प्रदान करनी है तो सीपीटी का समग्र दुष्टिकोण अपने आप मे प्रतिकृत है ।
- (ii) मूल कप्टेनर यातायात में घृद्धि बार्ज सेवा पर निर्भर नहीं होगी, परंतु यह पूर्णतया उद्योग एवं वाणिज्य और कुल मिलाकर इस क्षेत्र से बाहर के निर्यातों तथा आयातों पर निर्भर है ।
- (iii) कैप्स्टन शिपिंग एण्ड एस्टेट लिमिटेड का कथन कि अभी तक नौका प्रचालन नहीं हुआ है, सही नहीं है । एससीआई ने स्वयं लगभग 10/12 वर्षों पूर्व ऐसा प्रधालन किया था, परंतु इसे अत्यधिक प्रचालनात्मक और आधारणूत संरचनात्मक बाधाओं के कारण छोड़ने के लिए बाध्य होना पडा था ।

6 =

- [PART III-SEC. 4]
- (iv) एचडीसी अपनी वर्तमान आधारभूत संरचना के साथ सभी फीडर पोतों को स्वीकार नहीं कर सकता। कटेनर यातायात के कोलंकाता से हल्दिया में यर्तमान विपथन से अभी भी ऐसे अवसर आते हैं जब फीडर पोतों को एचडीसी में बर्थिंग के लिए प्रतीक्षा करनी होती है और इसलिए बार्ज सेवा केवल इस समस्या को बढ़ाएगी, इसे दूर नहीं करेगी ।
- (v) किसी कटेनर की कोलकाता अथवा हल्दिया से पारादीप और विशाखापसनम तक ढुलाई का 1000/--रुपए प्रति टीईयू से बहुत अधिक लागत विमेदक होगा और यह समझ नहीं आता कि यह हल्दिया के लिए यातायात को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन कैसे हो सकता है, जो यातायात अन्यथा किसी अन्य पत्तन की ओर संचलित हो गया होता ।
- (vi) बार्ज सेवा कोलकाता और हल्दिया के बीच तुलाई का मात्र एक वैकल्पिक तरीका है और इससे सपूर्ण पत्तन के लिए असिरिक्त कंटेनर यातायात और न ही यथा इंगित पक्षन के लिए असिरिक्स राजस्य उत्पन्न हो सकता। वास्तव में अगर एक पूर्ण सफल बार्ज सेवा की आदर्श दशा के अधील आए पोत सीडीएस में घट जाते हैं जिसमें फीखर पोत हल्दिया से चले जाते हैं तो यह केवल पत्तन के राजस्व को प्रमावित कर सकता है और इससे वृद्धि नहीं हो सकती ।
- (vii) चूंकि, सीपीटी के प्रस्ताव से सडक द्वारा दुलाई की तुलना में नौका से दुलाई के कुछ लाम होते हैं, इसलिए यह महसूस किया जाता है कि सीपीटी का प्रस्ताव, जिसे विधिवत विचार-विमर्श के बाद दिया गया है, स्वीकार कर लिया जाए ।

सीपीटी के प्रस्ताब पर मैसर्स कैप्सटन शिपिंग एण्ड एस्टेट लिमिटेड ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं 🛹

- (i) सीडीएस में नवी के ड्राफ्ट में अचानक कमी आना एक आवर्ती घटना है और सीपीटी द्वारा यह सही उल्लेख किया गया है कि कोलकाता के मार्ग पर गदी के ड्राफ्ट का किसी निश्चितता से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता ।
- करूकसा में कंटेनर न केवल सडक परिवहन द्वारा एचडीसी तक लाए जाते हैं, बल्कि विशाखापसनम और पाराधीप जैसे पसनों तक अंसरित किए जाते हैं ।
- (iii) इस समय हस्दिया और सिंगापुर के बीच 12 पोत चल रहे हैं और हमारी बार्ज सेवा का प्रयोग करते हुए कोलकाता कंटेनर फार्गों को जोड रहे हैं । फीडर प्रचालकों को लागत की बचत अमूतपूर्व है और वे सीडीएस को पूर्णतः छोड़कर हत्दिया में जाना प्रारम करने के लिए पर्याप्त समारतंत्र समर्थन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ।
- (iv) सीडीएस के लिए कंटेगर यातायात बनाए रखने के लिए हमारी बार्ज सेवा लागत पैकेज की तुलना में सड़क परिवहन का प्रयोग करते हुए व्यापार जगत को मौजूदा लागत पैकेज के बीच 1000/-रुपए प्रति टीईयू का न्यूनतम विभेदक अनिवार्य है । यह तभी संभव है, अगर सीडीएस में घाटशुल्क को 1500/-रुपए प्रति टीईयू तक कम किया जाए और हल्दिया में पत्तन प्रमारों को कम करके 1200/-रुपए प्रति टीईयू तक लाया जाए।
- (v) अगर हमारे प्रस्तावित आईडब्ब्यूटी छंटेनर बार्ज फीडर सेवा के माध्यम से सीडीएस में संपूर्ण कंटेनर यातायात बनाए रखा जा सकता हो, तब सीडीएस में राजस्व प्रतिधारण होगा और एचडीसी में राजस्व वृद्धि होगी ।
- (vi) अगर सीपीटी को (मान लें) प्रतिवर्ष 160000 टीईयू तक अपने सपूर्ण कंटेनर यातायात की हानि होती है तब सीडीएस और एचडीसी के लिए राजस्व परिदृश्य निम्नानुसार दिखाई देगा :--
 - (क) हम परंपरागत अनुमान कर सकते हैं कि कोलकाता का 50% यातायात हल्दिया चला जाएगा और शेष 50% अन्य पत्तनों को ।

इस आधार पर, आनुमानिक रूप से सीडीएस को प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी । दर के मौजूदा स्तर पर हल्दिया को 50% अतिरिक्त यातायात के प्रहस्तन से प्रतिवर्ष 18 करोड रुपए की राजस्व वृद्धि होगी । इस प्रकार, सीडीएस और एचडीसी के बीच प्रतिवर्ष 17 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी ।

- (ख) अगर हमारी सिफारिशों के अनुसार महापत्तन प्रशुत्क प्राधिकरण द्वारा रियायती/संवर्धानात्मक आधार पर सीडीएस घाटशुल्क और एचडीसी प्रमार नियत किए जाते हैं तो सीडीएस प्रतिवर्ष 24 करोड रुपए का राजस्व बनाए रखेगा और हस्दिया अपने राजस्व में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड रूपए की वृद्धि करेगा। इस प्रकार कोलकाता/हत्दिया के बीच शायद ही राजस्व की कोई हानि होगी ।
- (vii) सीडीएस की हानि में से एचडीसी में 50% यातायात की वृद्धि भी घरों के मौजूदा स्तर पर बनी रहनी कठिन होगी ।
- (viii) विशेषकर सीडीएस के तिए सब्ट्रीय जलमार्ग सठ 2 के माध्यम से कोलकाता—बंगलादेश—असम और राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 1 द्वारा कोलकाता—फरक्का—पटना—इलाहाबाद के नदी सेवा मार्गों में पर्याप्त असिरिक्त यातावात उत्पन्न करके आईडब्ल्यूटी सेवाओ का सवर्धन अत्यधिक महत्व का होगा । यह स्थिति सीडीएस की निष्क्रिय आधारमूत संरचना और सीआईडब्ल्यूटीसी के प्राय. निष्क्रिय आईडब्ल्यूटी बेडे जो निजी चार्टरों के अधीन पुनरूत्थागशील हो जाएगा, को दोहरा लाभ प्रदान करती है ।
- (ix) एचडीसी ने उच्च उत्पादकता और बडे आकार के गियरहीन कंटेनर पोतों के प्रहस्तन पर भल सहित बर्थ ता 11 में एक विशेष अत्याधुनिक कटेनर टर्मिनल में निवेश करने के लिए निजी पार्टियों को आमंत्रित करते हुए वैशिवक निविदा दी हे । यह हमारे प्रस्तावित कटेनर बार्ज सेवा में वधासकल्पित कोलकाता-हल्दिया के बीच कटेनर यातायात के बनाए रखने और वृद्धि के बिना नहीं होगा । तीपीटी ने सीएसई के अभ्यावेदन पर निम्नलिखित टिप्पणिया दी हैं ~
- (i) सीडीएस में 2300 / -रुपए और एचडीरी) में 2000 / -रुपए की भॉक्स दर का प्रस्ताव सीपीटी द्वारा दो गोदी प्रणालियों के बीच कटेनरों के अंतरण के लिए 1993 के दरों के मांग में मौजूदा दर पर विचार करते हुए किया गया है ; यह सब पिताकर प्रति वॉक्स 1000 / रुपए की दर थी और इस राशि पर प्रत्येक वर्ष के बाद परिकलित 10% प्रतिवर्ष तक के व्यय में वार्षिक औसत वृद्धि पर विचार किया गया है और दर 2358 / -रुपए प्रति टीईयू होती है, जिसे सीडीएस में पूर्णांकित करके 2300 / -रुपए प्रति टीईयू कर दिया गया है । एचडीसी के लिए 2000 / -रुपए प्रति टीईयू की और रियायती दर का प्रश्ताव किया गया है ।
- (ii) सीएसईएल ने सीपीटी द्वारा यथानुमोदित साकेतिक बॉक्स दर के आधार पर प्रचालन प्रारम करने के लिए सीपीटी मे अनुरोध किया है । इस मामले पर विचार किया गया है और सीपीटी को परीक्षण आधार पर कटेनरों का आवागमन करने के लिए पार्टी को अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वे इस मामले में महापत्तन प्रशुत्क प्राधिकरण के अतिम निर्णय पर समायोजन के अधीन सीपीटी द्वारा अनुमोदित बॉक्स दर का मुगतान करने के लिए संहमत होते हैं । सीपीटी ने आग निम्नलिखित टिप्पणिया दी हैं -
- (i) सीएसई विभिन्न अवसरो पर विभिन्न लागत घटक प्रस्तुत कर रहा है, जो भ्रामक है । तथापि, सीपीटी ने लागत घटक पर विवार किया है जिसे प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के समय लिखित रूप से बार्ज प्रवालकों द्वारा इगित किया मया था ।
- (ii) हम सीडीएस में प्रतिवर्ष 20,000 टीईयू से अधिक का प्रहस्तन करने के लिए 150 / -रुपए की छूट शहित 2300 / -रुपए प्रति टीईयू और एचडीमी में 1980 / -रुपए प्रति टीईयू शामिल करते हुए बॉक्स दर नियत करने के हमारे प्रस्ताव की समीक्षा करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं पाते ।

8 दोनों मामलों पर्र सीपीटी में दिनाक 7 सितबर,2001 को एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी । शामित मुददों की सबद्ध प्रकृति को देखत हुए दोनों भामतों को एक साथ सुनवाई के तिए लिया गया था । संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित उत्त्तेख किया गया था –

कलकत्ता पतन यास (सीपीटी)

 (1) सीपीटी एक तटीय पत्तन है । यहा डुबाब की समस्या है । फीडर पोल एनडीभी में रूकना प्रारंभ हो गए हैं। सीडीएस से कटनर सडक द्वारा एचडीएस तक जात हैं । सीडीएस में हमारी कटेनर आधारमूत संख्वना निष्क्रिय है, इसलिए हमारी बिता है ।

- (ii) 1993 का प्राक्धान 1996 में हटा दिया गया था, क्योंकि बार्ज यातायात विकसित नहीं हो रहा था । यह दर्घ 2001 के संशोधन में भी था । वर्तमान प्रस्ताव संशोधन -पश्च घटना है ।
- (iii) सीडीएस में दर्शाई गई मिश्रित दर में मजदूरी-बकाया देयता के लिए 'विशेष दर' शामिल है ।
- (iv) ऐतिहासिक रूप से एवंडीसी में कंटेनर प्रहस्तन के लिए निधन दर थी । इसलिए, हमने विमेदक को बनाए रखा है ।
- (v) हमारे द्वारा प्रस्तावित दर सडक द्वारा ढुलाई की लागत घटाकर 160/-रुपए है । हमारा विचार यहां से जाने वाले यातायात को आकर्षित करना है । सडक के सकुलन को हटाने के लिए आर्थिक सहायता देगे का विचार नहीं है ।
- (vi) हमने शर्तो (अर्थात 'शि:शुल्क दिवस'), जिन्हे 'छूट प्रस्ताव' में शामिल किथा गया था, के कुछ उदारीकरण का भी प्रस्ताव किया है । हम उस पर भी कार्यवाही करना चाहेंगे ।
- (vii) ये दरे सभी के लिए साझा है और केवल सीएसई के लिए ही नहीं है । कोई भी वार्ज प्रचालक इन दरो को प्राप्त कर सकता है ।
- (viii) दी गई वरें काफी उदार हैं । इसमे जैसा सीएसई द्वारा कहा गया है किसी और कमी की समावना नही है।
- (ix) हमने मुदास्फीति दर पर वुछ परिकलग किया है । रुमने वित्त गंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक दरों का अनुशरण महीं किया है ।
- (x) हमने छ महीने के लिए ही स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया है । हमने छ महीने के बाद समीक्षा केरन का प्रस्ताव किया है ।
- (xi) सीएसई ने प्रतिमाह 5000 कटेंगर का आश्वाशन दिया है । हमने इस कार्यनिष्पादन को कैस सुनिश्चित किया जाए यह नहीं सोचा है । परत्, हम इसे बैंक गारटी व्यवस्था अथवा अभ्यथा के माध्यम से करेगे ।
- (xii) यह प्रस्ताव केवल 'लदे हुए' कटेगर के लिए है खाली के लिए नहीं ।

मैसर्स कैप्सटन सिपिग एण्ड एस्टेट लिमिटेड (सीएसई लिमिटेड)

- (i) हम इस मामले पर बहुत तेजी से कार्यवाही करने के लिए आपके कुनज़ हैं ।
- हमने एक विस्तृत प्रस्ताव दिया है । सभी लागत निर्धारण को स्पष्ट कर दिया गया है । हमारा सीपीटी के साथ विस्तृत विचार--विभर्श हुआ था । हमारी दरे अधिक वास्तविक हैं ।
- (iii) सीपीटी का प्रस्ताव रुमारे प्रस्ताव के बाद दिया गया है । हम विशेषकर चुबाद की समस्या के बारे में उलक तर्क और कारणों का समर्थन करत हैं ।
- (iv) कृपया हमारे दिनाक 1 अगस्त,2000 के पत्र (अर्थात सीपीटी के प्रस्ताव पर हमारी टिप्पणिया) में बल दिए १.९ बिंदुओ पर गमीरतापूर्वक ध्यान दे ।
- (v) हम एक स्थान की सेवा प्रदान करते हैं । यह पोतवणिक को 500/-रुपए प्रति टीईयू की बचत प्रदाग करेगा।
- (vi) हमारा प्रस्ताव कटेनर के लिए है ग कि टीईयू के लिए । वर्ष 1993 का प्रशुल्क भी कटेनर के लिए था।
- (vii) हमने दरो के 'मूतलक्षी' नियतन के लिए दिगांक 13 अगस्त,2001 के अपने पत्र मे औचित्य दे दिया है । कृपया असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत हमारा अनुरोध स्वीकार करे ।
- (viii) यह घटना नवबर,2000 में बार्ज प्रचालन के बारे में सीपीटी से प्राप्त अनुरोध से प्रारम हुई । हमने अत्यधिक निवेश किया है । हमने बहुत सबी प्रतीक्षा की है । यह अब हमे वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचा रहा है । कृपया, हमे एक 'अनम्तिम धर' से प्रारम करने दें ।

(ix)	कृपया, बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त पढें । लगभग समी ग्यासियों ने कहा है कि सीपीटी की दर्रे प्रति	स्पर्धी
	दर' नहीं है । इसलिए, हमारे प्रस्ताव पर अनन्तिम रूप से विचार करें ।	

- (x) हमारा प्रश्लाव एक विस्तृत घाजार सर्वेक्षण पर आधारित है । यह विश्वसमीय है । कृपया उसका अमुपरण करें। सीपीटी की दरें अव्यवहार्य हैं ।
- (xi) हमारे द्वारा प्रस्तावित 'उत्पाद लागत' में व्यापार जगत 'को पूरी प्रदान की गई सम्मिलित रियायत शामिल है। हम उन्हें वापस नहीं ले रहे हैं ।

कलकत्ता कस्टम हाऊस एजेंट एसोसिएशन (सीसीएझएए)

- (i) इसमें कोई रियायत शामिल नहीं है । यह प्रस्तावित एक नई व्यवस्था है । इसलिए, यह एक नया प्रशुल्क है ।
- (ii) यहां केवल सीपीटी की वरों की बात करना पर्याप्त है । एएसआईसी द्वारा नियत की जाने वाली टीएचसी घर भी समाम रूप से महत्वपूर्ण है ।
- (iii) लाइनों/एजेंटों/पोतवणिकों द्वारा प्रमारों के संग्रहण की कार्यविधि स्पष्ट नहीं है । कौन कितना भुगतान करेगा इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

ईस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन (ईजाईएसए)

यह पोत्तवणिकों के लिए एक नई संकल्पना है । पोत्तवणिक को प्रेरित करने के लिए 1500/-रुपए प्रति टीईयू की रियायत आधरथक न्यूनतम प्रोत्साहन है ।

मारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एक्सविआई)

- (i) सीडीएस में पोत नहीं आ रहे हैं । ये रियायतें सीडीएस को पूर्णत एक 'बार्ज पत्तन' में परिवर्तित कर देंगी। इस हामि की पूर्ति कैसे की जाएगी ?
- (ii) यह कहना सही नहीं है कि याशायात को विपथित कर दिया गया है । पृथक्कृत पार्सल अलग चले गए होंगे।
 अन्यथा, प्रतिवर्ष 9% की वृद्धि हुई है ।

कटेनर शिर्पिंग लाइन्स एसोसिएशन (सीएसएलए)

बार्ज के आवागमन को एक 'वैकल्पिक सुविधा' के रूप में देखा जाना चाहिए न कि 'वैकल्पिक व्यवस्था' के रूप में।

9. संयुक्त सुनवाई में, सीपीटी ने लिखित विवरण दाखिल करने के लिए लगभग दस दिनों का समय मांगा गया था, जिसे प्रदान कर दिया गया था । संयुक्त सुनवाई ने उठाए गए बिंदुओं की सूची सीपीटी को विनांक 10 सितंबर,2001 को विशेष टिप्पणियों के लिए मेजी गई थी ।

10. सीएमई ने भी संयुक्त सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है । सीएसई लिमिटेड ने संयुक्त सुनवाई में उठाए गए बिंदुओ पर निम्नलिखित टिप्पणिया/स्पष्टीकरण दिया है :--

(i) कलकत्ता से कंटेनर यातायात का विपथन हत्विया की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि विशेषकर अल्युमीनियम धातुपिंड विशाखापत्तनम की ओर मी जा रहा है । बार्ज कंटेनर सेवा को कलकत्ता और हत्विया दोनों के लिए यातायात और राजस्व प्रतिधारण के लिए बनाया गया है । इसलिए, यातायात आकर्षित करने के लिए कलकत्ता और हल्दिया दोनों द्वारा दर मे कमी की जाएगी ।

367941-001-2

THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY

- (ii) प्रति कंटेनर (टीईयू और एफईयू दोनों) के लिए 1000/-रुपए की दर कलकत्ता और हल्दिया को अलग-अलग शामिल करते हुए अभेकित कंटेनर बार्ज दर थी । शीपीटी ने उल्लेख किया है कि अगर यह दर वर्ष 1996 और 2001 के दरो के मान के आधार पर जारी रहती है तो दी गई वृद्धि के अनुसार यह कलकत्ता और हल्दिया दोनों में 1000/-रुपए प्रति टीईयू से अधिक नहीं हुई होती । परतु, सीपीटी के अनुसार यह व्याप्रहारिक नहीं है, क्योंकि इस किस्म की रियायत सीपीवाई में उनकी यातायात की मात्रा को प्रमादित करेगी । यह विरोध रूप से निश्चित है कि दीर्घावधिक में फीडर पोत केवल हल्दिया में आएंगे और कलकरता का लगमग 1,31,000 टीईयू के सपूर्ण यातायात को नौकाओ द्वारा प्रहस्तन करने की अपेका होगी, अगर यह यातायात कलकत्ता में रखा जाना है तो इसके लिए सीपीवाई में सुविधाओं का बहुत अधिक उपयोग किया जाएगा ।
- (i) जबकि सीपीटी ने ज्यापार जगत— क्लियरिंग एजेटों और पोतवणिकों से प्रश्न है कि पैकंज बार्ज लागत के पक्ष में 160/-रुपए प्रति टीईयू का अंतर है, के विरूद्ध उल्लेख किया है हमने तुलनात्मक दर चार्ट के माध्यम से स्पष्टतया स्थापित किया है कि बार्ज दर सडक द्वारा बुलाई की लागत की अपेक्षा लगभग 400/-रुपए प्रति टीईयू अधिक है, अगर प्रस्तावित हो तो सीपीटी की दरे लागू की जाती हैं।
- (iv) व्यापार जयत के पक्ष द्वारा यह शही उल्लेख किया गया है कि पोतवणिक/परेषिती के मोदाय से सीडीएस के बीच कंटेनरों की अतर्देशीय दुलाई के लिए लागत पैकेज मे सीपीटी द्वारा लिया गया 1500/-रुपए प्रति टीईयू का समरूप दुलाई प्रमार कई मामलों में 3000/-रुपए से अधिक चला जाएगा और इसलिए दर अवास्तविक है।
- (v) इमारी सेवा व्यवष्ठार्य ठोगी, अगर पर्याप्त पातायात समर्थन ठो और इस समय हमारी क्षमता प्रतिमाह लगभग 5000 टीईयू है । ईआईएसए द्वारा जैसा इंगित किया गया है, व्यापार जगत बार्ज कंटेनर सेवा से 1500/-रुपए प्रति टीईयू के लागत लाम की आशा करेगा और इसके लिए कलकत्ता में 1500/-रुपए प्रति टीईयू घाटशुल्क और हल्दिया में 1000/-रुपए प्रति टीईयू की दर नियत करना अनिवार्य होगा । यह न केवल कंटेनर यातायात को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा, बल्कि उसकी कलकत्ता और हल्दिया दोनों के लिए काफी वृद्धि मी करेगा।
- (vi) क्लियरिंग एजेंट कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक लेन वाले यातायात के कारण सडक द्वारा हल्दिया तक कंटेनर ले जाने में अनुमव की गई कठिनाइयों के बारे में उल्लेख कर चुके हैं और उन्होंने परिवहन के अधिमान्य तरीके के रूप में बार्ज सेवा पर बल दिया है ।
- (vii) फीडर प्रचालको को बहुत लागल लाम को देखते हुए अगर थे कलकत्ता में नहीं आते, व्यापार जगत सही रूप से शिपिंग लाइनों से प्रति टीईयू न्यूशतम 50 अमरीकी डॉलर का मालमाडा लाम का दावा कर सकता है ।

11 सीपीटी ने सयुक्त सुनवाई में यथा सहमत एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है । अपने लिखित अनुरोध में सीपीटी ने पुनः अपने प्रस्ताव का औचित्थ दिया है । इसके अतिरिक्त, सीपीटी ने सयुक्त सुनवाई में उठाए गए बिंदुओ पर निम्नलिखित टिप्पणियां/स्पष्टीकरण भी दिया है –

- (i) प्रस्तावित दर पिकालने के लिए वर्ष 1992-93 में मौजूद भरे हुए कंटेनरों के लिए प्रति टीईयू सब मिलाकर 1000/---रुपए की दर को आधार माना गया है और 10% वार्षिक औसत मुदास्फीति दर को मारित करते हुए वर्त्तमान दर 2358/--रुपए प्रति टीईयू होती है । जहा तक सीडीएस का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रावधान के साथ कि अगर दुद्धिकारी याताधात प्रतिवर्ष 20000 टीईयू से अधिक है तो बार्ज प्रयालक को 150/-रुपए प्रति टीईयू की छूट दी जाएगी, सब मिलाकर दर 2300/-रुपए प्रति टीईयू होगी, प्रमावी दर तब दुद्धिकारी यातायात के प्रति टीईयू 2150/-रुपए होगी ।
- (ii) सीडीएस में पूर्ण भरे हुए कंटेनर की संख्या में से लगभग 55% आयात और रोष 45% गिर्यात है । सभी आयात कटेनर पर कटेनर टर्मिनल अधवा कंटेनर खडा करने के यार्ड (सीपीवाई) को छोडकर बर्ध में 5000/-रूपए प्रति टीईयू की दर लगाई जाती है । चूकि, कटेनर बार्जों का प्रस्तावित प्रचालन गैर-सीपीवाई बर्ध, जहां निजी प्रचालकों द्वारा उपएकर का समर्थन प्रदान किया जाता है, में करने का निर्णय लिया गया है, मौजूदा दरों के मान के अनुसार इस समय 5000/-रुपेए प्रति टीईयू की दर लागत है । गैर-सीपीवाई बर्थ में नियति कंटेनरों के लिए तीने दर हस समय 5000/-रुपेए प्रति टीईयू की दर लागत है । गैर-सीपीवाई बर्थ में नियति कंटेनरों के लिए तीने दर हर समय 5000/-रुपेए प्रति टीईयू की दर लागत है । गैर-सीपीवाई बर्थ में नियति कंटेनरों के लिए तीने दर हस समय 5000/-

अर्थात उच्च कीमत वाले कार्गों के लिए 5000 / --रूपए प्रति टीईयू, मध्यम कीमत के कार्गों के लिए 3800 / --रूपए प्रति टीईयू और निम्न कीमत वाले कार्गों के लिए 2800 / --रुपए प्रति टीईयू है और तीनों किस्म के निर्यातों की भात्रा इस समय कंटेनरों के कुल निर्यात का 5%, 30% और 65% है। इस प्रकार, प्रति कंटेनर की माराशित औसत दर लगभग 4164 / --रुपए है। इस दर से तुलना करने पर, बार्ज माध्यम के लिए सब मिलाकर 2300 / --रुपए की प्रति टीईयू की दर निश्चित रूप से एक रियायती दर है।

- (iii) जहां तक एचडीसी का संबंध है, वर्तमान प्रति टीईयू पोत पर प्रमार और घाटशुस्क में नौका से घाट तक और विलोमत: दिलोमत: उत्तराई/नौभरण के लिए 760/-रूपए और पार्टी के उपस्कर द्वारा घाट से स्टेकयार्ड तक और विलोमत: दुलाई के लिए 300/-रूपए, स्टेकयार्ड से वापस घाट तक अधवा विलोमत: पार्टी के उपस्कर द्वारा दुलाई के लिए 300/-रूपए, स्टेकयार्ड से वापस घाट तक अधवा विलोमत: पार्टी के उपस्कर द्वारा दुलाई के लिए 300/-रूपए, स्टेकयार्ड से वापस घाट तक अधवा विलोमत: पार्टी के उपस्कर द्वारा दुलाई के लिए 300/-रूपए, नौमरण/उत्तराई के लिए 1500/-रूपए और कुल राशि पर 10% विशेष दर अर्थात कुल 3135/-रुपए प्रति टीईयू शामिल है । वर्ष 1992-93 में मौजूदा दर को उसी प्रकार लेते हुए जैसा सीडीएस के लिए किया गया है, एचडीसी में बार्ज आवागमन के लिए दर नियत करते समय, 2000/-रुपए प्रति टीईयू की और उसके बाद 10% की विशेष दर का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा गया के लिए 10% की छूट होगी और उसके बाद 10% की विशेष दर का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा गिर्णति अंतिम दर 1980/-रूपए प्रति टीईयू होती है । यह जहाजों द्वारा प्रहस्तन किए गए कटेनरों के लिए 3136/-रूपए प्रति टीईयू की दर की तुलना में एक रियायती दर भी है ।
- (iv) एचडीसी में रियायत∕छूट का प्रस्ताव बार्ज माध्यम को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया गया है, ताकि सीडीएस से सड़क द्वारा कंटेनरों का विपथन रोका जा सके और साथ–साथ एषडीसी में प्रहस्तन मी प्रमारित नहीं हो।
- (v) इस रियायत का प्रस्ताव ऐसे कंटेनर भोत को ध्यान में रखकर किया गया है, जो सीडीएस में नहीं आ सकते, परंतु भूमि माध्यम द्वारा एचडीसी से कंटेनर लेंगे । सीडीएस में आने वाले पोत कंटेनर टर्मिनल पर प्रहस्तन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जो बार्ज माध्यम की अपेक्षा सस्ता होगा । वे सीडीएस के गैर--टर्मिनल बर्थ पर भी कार्य कर सकते हैं । इसे देखते हुए, सीडीएस में आने वालेकटेनर पोतों के संबंध में आवाणमन के लिए बॉक्स दर में किसी रियायत का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।
- (vi) अगर वर्ष 1996 और 2001 मे दरों में समग्र औसत प्रतिशतता वृद्धि को वर्ष 1998 में मौजूदा 1000/-रूपए की दर पर लाद दिया जाए तो वह 1500/-रूपए प्रति टीईयू से भी कम होती है । यह दर दोगों गोदी प्रणालियों के लिए रवीकार्य नहीं है । एचडीसी के भामले में, यह दर एकल लदान अधवा उत्तराई प्रचालन से उत्त्पन्प हुए राजस्व से कम होगी ।
- (vii) सीडीएस में 2300 / रूपए का समेकित प्रभार वेतन संशोधन के परिप्रेक्ष्य में लगाई गई 10% विशेष दर को शामिल करती है ।
- (viii) समावित बार्ज प्रचालकों ने प्रतिमाह 5000 टीईयू के प्रहस्तन करने का आश्वासन दिया है । इस आश्वासन को मानते हुए, रियायती दर का प्रस्ताव किया जाता है ।
- (ix) इस रकीय के छः महीने की अवधि के लिए सीमित होने का प्रस्ताव नहीं किया गया है । यह एक सतत् स्कीम होगी | तथापि, रीपिटी छः गहीने के बाद स्थिति की समीक्षा करेगा ।
- (x) प्रस्तावित दरो से सीडीएस के कटेंशर टर्मिंगल पर पोतों के प्रहस्तग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा समावित नही है ।
- (xi) चूकि, खाली कटेनर निम्न दर का लाम पहले से उठा रहे हैं, इसलिए दिनाक 4 अप्रैल,2001 को अधिसूचित संशोधित दरों के मान में निर्धारित सामान्य दर लागू रहेगी ।
- (xii) सीपीटी ने साझा प्रयोक्ता वर प्रस्तावित किया है, जिसका प्रस्ताव किसी विशेष बार्ज प्रचालन को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तावित नहीं किया गया है । जो भी उसे घ्ययहार्य पाता है, वह कंटेनर वहन करने वाली बार्जों के प्रहस्तम के लिए नामोदिष्ट बर्ध में कार्य कर संकता है ।

में यह भी वर्णन किया गया है कि इन बरों पर छः महीने की अवधि के लिए नजर रखी जाएगी और अगर यह पाया जाता है कि सड़क⁄रेल अध्यवा अन्यथा द्वारा मालमाड़े में परिवर्तन के कारण वह प्रतिस्पर्धी नहीं है तो सीपीटी गिरिचत रूप से मामले की समीक्षा करेगा और उपयुक्त कदम उठाएगा ।

12. सीएसएलए ने संयुक्त सुनवाई के बाद अपनी लिखित टिप्पणियां भी प्रस्तुत की है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है :--

- (i) प्रस्ताव लाइनों अथवा व्यापार जगत से अनुरोध के प्रत्युत्तर में नहीं है ।
- (ii) लाइण्स यह आश्यस्त नहीं है कि व्यापार जगत दो टर्मिनलों के माध्यम से कार्मों प्रहस्तन की जटिलताओं का सामना करना धाहेंगे या नहीं ।
- (iii) यह स्पष्ट गहीं है कि यह प्रस्ताव महापत्तन प्रशुस्क प्राधिकरण के समक्ष क्यों है । यह एक तटीय फीउर सेवा है, जो प्रयालक और लाइनों के बीच हिपाक्षिक वर्षा का विषय है ।
- (iv) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रधान की गई सेवा व्यावहारिक है या नहीं और यह भी निश्चित नहीं है कि बताई गई दरें शामिल लागतों की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं या नहीं ।
- (v) सीडीएस और एचडीक्षी दोनों के लिए सीधी सेवाएं हैं, जिनका प्रयोग पहली बार किया जा क्षकता है । अगर एक गोदी से दूसरी गोदी में आवागमन अप्रेक्षित है, तब रेल के आधागमन पर विचार किया जा सकता है ।

13. इन मामलों पर कार्यवाही के दौरान एकत्रित समग्र सूचना और संयुक्त सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति सामने आती है :--

- (i) यह प्रस्ताव सीपीटी द्वारा सीडीएस में कंटेनर यातायात वापस लाने के उद्देश्य से किया गया है, जो समुद्री यात्रा मार्ग में डुवाव प्रतिबंध के कारण घटता जा रहा है । जैसा सूचित कियहा गया है, पोत सामना की गई डुवाव की समस्याओं के कारण एचडीसी में आना चाहते हैं । एचडीसी को/से कंटेनर बुलाई को अन्य वैकल्पिक तरीकों से कोलकाता के पड़ोस तक आयागमन करते हैं । अगर कंटेनरों के अन्तः मोबी आयागमन के लिए बार्ज सेवा लागू की जाती है तो सीडीएस में अतिरिक्त यातायात होगा और इस प्रकार सीपीटी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । जैसा एससीआई द्वारा सही रूप में इंगित किया गया है, बार्ज सेवा सीडीएस और एकडीसी के बीच दुलाई का केवल एक वैकल्पिक तरीका है और इससे पत्तन के लिए कोई नया कंटेनर यातायात उत्पन्न मही हो सकता।
- (ii) सीडीएस और एचडीसी के बीच कंटेनर आवागमन के प्रहस्तन के लिए एक पृथक दर वर्ष 1993 के दरों के मान में उपलब्ध थी । यह दर रियायती थी, जब इसकी तुलना अन्य गंतव्य स्थान के लिए/से कंटेनरों के प्रहस्तन प्रमार से की जाती है । इसे ध्यान में रखते हुए, किसी भिन्नता के बारे में सीडीएस में आने वाले कंटेगर पोतों से कोई आपसि नहीं हो सकती, अगर रियायत/छूट केवल बार्जों के लिए दी जाती है । सीपीटी के प्रस्ताव को दरों में उपयुक्त समायोजन के साथ वर्ष 1993 के दरों के मान में प्रावधान को बहाल करने के लिए है । यह उल्लेखनीय है कि सीपीटी ने अपने वरों के मान में परवर्ती संशोधन में रियायती वर शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया था, क्योंकि बार्जों द्वारा कंटेनरों का आवागमन मूर्त रूप नहीं ले पाया । चूंकि, पत्तन ने अब प्रवालकों से ऐसे अन्तः गोदी आवागमन में दिलवस्पी दर्शाते हुए प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, इसलिए संगत प्रशुक्क मद को अब बहाल करना प्रस्तावित है ।
- (iii) सीएसएलए ने अवलोकन किया है कि बार्ज का आवागपन प्रचालक और लाइन्स के बीच का मामला है और इस प्रस्ताय की आवश्यकता के प्रश्न पर इस प्राधिकरण द्वारा वियार किया जा रहा है । यहां यह उल्लेख करना संगत है कि प्रस्ताय सीडीएस और एचडीसी में लगाए जाने वाले कंटेनर प्रहस्तन प्रभार को नियत करने

12

(xiii)

के लिए है । सांविधिक रूप से केवल यह प्राधिकरण ऐसी दरें अनुमोदित कर सकता है । तथापि, नौका प्रवालन की व्यापारिक व्यवस्था लाइन्स और दार्ज प्रवालकों के बीच हो सकती है, परंतु पत्तन प्रशुल्क का निर्धारण नहीं।

- (iv) सीएसई ने दोनों टर्मिनलों में कंटेनर प्रहस्तन के लिए लागल के आधार पर किसी विशिष्ट दर का प्रस्ताव नहीं किया है । दर के लिए उसका अनुरोध सडक/रेल आवागमन की तुलना में नौकाओं द्वारा कटेनर के आवागमन की लागत की तुलना पर आधारित है । इसने प्राएंम में 3000/--रुपए प्रति टीईयू की तदर्थ दर की मांग की है, परंतु इसने बाद में सीडीएस में 1500/--रुपए प्रति टीईयू और एचडीसी में 1200/--रुपए प्रति टीईयू की दर का मुझाव दिया है ।
- (v) ईआईएसए में अवलोकन किया है कि 1000/-रूपए प्रति टीईयू का लागत विमेदक बार्ज माध्यम को ऐल/रोज द्वारा अंतरित करने के माध्यम से बुलाई किए गए कंटेनरों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवश्यक है । इस बिंदु पर भी सीएसई द्वारा बल दिया गया है । यह उल्लेखनीय है कि बुलाई के माध्यम में ऐसे अंतरण के लिए प्रोत्साहन केवल पत्तन लागत तक सीमित नहीं है, परंतु बुलाई की सुविधा और नौका प्रधालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की क्षमता पर भी निर्मर करती है । इसके अतिरिक्त, यह हमेशा दैकल्पिक तरीको द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की क्षमता पर भी निर्मर करती है । इसके अतिरिक्त, यह हमेशा दैकल्पिक तरीको द्वारा बुलाई की लागत के संदर्भ में पत्तन प्रशुल्क गियत करना संभव नहीं हो सकता । यहां यह उल्लेख करना सगत है कि सीपीटी का आश्वासन है कि स्कीम की विभिन्म तरीकों से बुलाई के खर्च के आकलन के बाद 5 महीनों के बाद समीक्षा की जाएगी ।
- (vi) यह प्राधिकरण तटीय कार्गो के लिए कार्गो प्रहस्तम प्रभारो में कोई रियायत देने के विरूद्ध मिर्णय कर चुका है । यह मिर्णय प्राधमिक तौर पर पत्तन द्वारा सड़क/रेल यातायात की संकुलता समाप्त करने के लिए आर्थिक सहायता देने के बारे में कई पत्तन न्यासों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर आधारित है । परंतु, तात्कालिक मामले में, सीपीटी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उसका प्रस्ताव सीडीएस से कतराकर कंटेनरों के कोलकाता से हल्दिया तक आधागमन रोकने के लिए है । इसे ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव तटीय कार्गो के आवागमत्त के लिए रियायत प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता है । यह उललेखनीय है कि प्रस्तावित प्रचालन केवल एक अन्तः गोवी आवागमन है न कि अन्त पोत आवागमन ।
- (vii) सीएसई ने तर्फ दिया है कि वर्ष 1993 के दरों के मान में दर 'कंटेनर' के प्रहस्तन के लिए था न कि 'टीईयू के लिए और प्रस्तावित प्रशुल्क स्कीम में समान व्यवस्था जारी रखने के लिए अनुरोध किया है । सीपीटी द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्टत' इंगित करता है कि वर्ष 1993 में दरों के मान में निर्धारित दर टीईयू आधार पर निर्धारित की गई थी । इसके अतिरिक्त, हर जगह कटेनर प्रहस्तन प्रमार केवल टीईयू आधार पर निर्धारित किया गया है । इसे ध्यान मे रखते हुए, 'कंटेनर' आधार पर प्रहस्तन प्रमार नियत करने के लिए सीएसई का अनुरोध स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं है ।
- (viii) प्रस्तावित दर निकालने के लिए, सीपीटी ने दर्ष 1993 के दरों के पान में निर्धारित दर पर प्रतिदर्भ 10% की अनुमानित मुद्रास्फीति घर लागू की है । जब वर्ष 1993 से अर्थव्यवस्था द्वारा एठाई गई औसत मुद्रास्फीति लगभग प्रतिवर्ष 5%-6% हैं, सीपीटी द्वारा लागू किया गया तर्क पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता । अगर वर्ष 1993 में दरों के मान मे दर जारी रही होती तो इसे भी दरों के मान में वर्ष 1990 और 2001 के दौरान संशोधित / समीक्षा भी की गई होती । हमारे प्रश्न के उत्तर में सीपीटी ने इंगित किया कि तल्कालीन विद्यमान घर रियायती थी और अगर इन संशोधनों में अनुमत्य सामान्य वृद्धिया लागू की जाती है तो प्रहस्तन प्रभार अव्यवहार्य होगा । इसने यह भी उल्लेख किया है कि उस मामले में एचडीसी में दर एकल प्रचालन (पोत से दाट तरू) के लिए दर की अपेक्षा कम हो जाएगी, जब दास्तव में प्रस्तावित व्यवस्था के अधीन एयडीसी उसी कंटेनर का दो बार प्रहस्तम (पोत से घाट और पुग घाट से नौका) करेगा । इस शबध मे सीपीटी द्वारा दिया गया तर्क उयित पाया जाता है और इत्तलिए स्वीकार किया जाता है ।
- (ix) सीएसई ने उल्लेख किया है कि दर्भ 1993 की दसों के माल में कंटेनर के अन्त. गोदी आवागभग के लिए दर सामान्य प्रहस्तन प्रमारों पर 50% से अधिक छट की अनुमति देकर नियत की गई थी । सीडीएस के गैर--सीपीवाई

बर्ध में कंटेनर के प्रहस्तन की मौजूदा दर पर कंटेनर के प्रहस्तन के लिए औसत दर यातायात मिश्रण पर विचार करते हुए सीपीटी द्वारा यथानुमानित प्रति टीईयू 4154/--रुपए होती है । इस औसत दर पर 50% की रियायत की अनुमति देकर और मजदूरी बकाए के लिए 10% की विशेष दर जोड़कर यह दर लगभग 2300/--रुपए प्रति टीईयू आती है, जो सीडीएस के गैर-सीपीवाई बर्ध में नौकाओं के माध्यम से कंटेनर प्रहस्तन के लिए सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर है । इसे ध्यान में रखते हुए, सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर अन्य कंटेनरों के लिए मौजूदा प्रशुल्क और वर्ष 1993 के दरों के मान में कटेनरों के अन्तः गोदी अंतरण के लिए उपलब्ध प्रशुल्क के संदर्भ में अनुचित नहीं कही जा सकती ।

(x) एधडीसी से संबंधित मौजूदा दरों का मान बार्जो/पलैट/बोट को/से कार्गो उतराई/नौमरण पर लगाए जाने वाले सामान्य नौतल पर और घाटशुल्क प्रभार पर 50% की छूट निर्धारित करता है । कंटेनरों को यह प्राक्धान प्रदान करके और अन्य सेवाओं के लिए लागू प्रभारों को हिसाब मे लेते हुए कुल पत्तन प्रशुल्क बार्जो से कंटेनरों को उतारने की संयुक्त सेवा के लिए उनके संबद्ध पोत (अधवा विलोमतः) में नौमरण होने तक एधडीसी में 3135/-रुपए प्रति टीईयू होती है । वास्तव में, एचडीसी में प्रहस्तन प्रमारों में कोई रियायत/छूट की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कंटेनर पोत किसी भी मामले मे एचडीसी में जाएगा । जैसा उल्लेख किया जा चुका है, एघडीसी में बार्जों के माध्यम से प्रहस्तन किए गए कटेनरों के लिए प्रस्तावित विशेष दर में कंटेनरों के (समुद्रगामी) पोतों से/तक उतराई/नौमरण के लिए प्रमार शामिल होता है । किसी मी मामले में, एचडीसी ने इन समी कंटेनरों से नौमरण/उतराई प्रमार, जो मौजूदा दरों के मान के अनुसार 1500/-रुपए प्रति टीईयू है, प्राप्त किया होता । यह मानना होगा कि पोत पर प्रभारों में 50% रियायत की अनुमति देने का प्राक्यान (समुद्रगामी) पोतो से/को उतारे/लादे गए कार्गो पर लागू नहीं है ।

ऊपर चर्चा की गई स्थिति के दृष्टिगत, सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर उचित पाई जाती है । जैसा सीएसई द्वारा सुझाव दिया गया है, दर में सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर को और कम करने का कोई आधार नही है । दर में ऐसी कमी यहां तक कि दोहरा प्रहस्तन प्रचालन करने के बाद मी एचडोसी को अलाभकारी स्थिति में ला सकती है ।

- (xi) जैसा उल्लेख किया जा चुका है, एचडीसी में मौजूदा दरों में कमी करने में कोई गुणावगुण नहीं है । वास्तव में, एचडीसी में रियायत की अनुमति देने के लिए सीपीटी का प्रस्ताव केवल सीडीएस में यातायात को प्रोत्साहित करना है । तथापि, यह मानना होगा कि सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर एचडीसी को कोई वित्तीय हानि नहीं है और इसे कंटेनरो के दोहरे प्रहस्तन के. कारण सीमांतिक रूप से लाम ही होगा ।
- (xii) यह प्राधिकरण सीपीटी के लिए प्रशुल्क पहले ही अधिसूचित कर चुका है । ऐसा करते समय सीपीटी की वित्तीय हालत पर टिप्पणी करने का एक अवसर उपलब्ध था । विशेषकर, आदेशित वृद्धि केवल प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक थी, नियोजित पूंजी पर अनुमत्य आय 'शून्य' थी अथवा इसी प्रकार सीडीएस की स्थिति थी । नियोजित पूजी पर कोई सार्थक आय न होने से प्रशुल्क वृद्धि काफी अधिक होती । इस पृष्टभूमि मे, कोई (और) छूट देने पर सामान्यतया सोचा नहीं जा सकता । परंतु, यह प्राधिकरण सीपीटी के तर्क को इसके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर मानने को तैयार है कि रियायतों के कारण कटेनर यातायात मे सुधार होगा और समग्र राजस्व आय में वृद्धि प्रदान की गई रियायतों को प्रतिसंतुलित करने से अधिक होगी । जबकि सीपीटी द्वारा प्रस्तावित रियायतें स्वयं इस प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई सामान्य स्थिति के बिल्कुल अनुरूप नही है, तब किसी एकल आपरेटर द्वारा अपेक्षित और रियायतों पर हमारे द्वारा विचार के मी अधिक होगी । जबकि रियायतों प्रदान करने सिपीटी से यह अपेक्षा करना स्थत प्रतिकूल होगा कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित से मी अधिक त्राग । वस्तुतः, हमारे लिए सीपीटी से यह अपेक्षा करना स्थत प्रनिकूल होगा कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित से मी अधिक रियायतें प्रदान करें । तदनुसार, सीएसई का अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है ।
- (xiii) एचडीसी में, सीपीटी द्वारा प्रस्तावित 2000 / रुपए प्रति टीईयू की दर मजदूरी बकाए के लिए 10% विशेष प्रभार के साथ विशिष्ट है । सीडीएस में 2300 / – रुपए प्रति टीईयू की प्रस्तावित दर मे यह घटक भी शामिल है। सीडीएस में भी, यह घटक प्रथक किया जा सकता है ताकि लगाई जाने वाली विशेष दर को उचित रूप से

हिसाब में लिया जा सके और मजदूरी बकाया देथता के उन्मोचन के विशेष प्रयोजनार्थ रखे गए एस्क्रो खाते में स्थानांतरित की जा सके । तदनुसार, सीडीएस में दर 2090/–रुपए प्रति टीईयू और 10% विशेष दर के साथ निर्धारित की जाती है ।

- (xiv) सीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें लदे हुए कटेनरों के लिए हैं । सीपीटी ने स्पष्ट किया है कि खाली कटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों का नियत्रण मौजूदा दरों और उसके दरों के मान में प्रावधानों द्वारा किया जाएगा । चूंकि खाली कंटेनरों के लिए मौजूदा दरें विशेषकर सीडीएस में बहुत कम हैं, इसलिए सीपीटी द्वारा प्रस्तावित यह दृष्टिकोण उचित है । इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रयोक्ता ने खाली कंटेनरों पर लगाई गई दरों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है ।
- (xv) सीपीटी ने सीडीएस में प्रक्रियर्ष प्रति नौका प्रचालक 20,000 टीईयू से अधिक वृद्धिकारी यातायात पर 150/-रुपए प्रति टीईयू की मात्रात्मक छूट का प्रस्ताव किया है । यह प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है । सीसीएचएए का इस छूट का लाम सीधे पोतवणिक को देने का अनुरोध उचित है, परंतु इसे लागू करना कठिन है, क्योंकि समी कंटेनर संबद्ध प्रमार लाइन्स से वसूल किए जाते हैं । किसी एक एजेंसी से प्रमार वसूल करना और किसी अन्य एजेंसी को छूट की अनुमति देने से परिहार्य बिलिंग समस्या उत्पन्न हो सकती है ।
- (xvi) जब अन्य कंटेनरो के लिए मौजूदा दरों के मान में निर्धारित दरों से इसकी तुलना की जाती है, तब नौकाओं के माध्यम से प्रहस्तन किए गए कंटेनरों के लिए अब अनुमोदित प्रहस्तन दरें निश्चित रूप से रियायती हैं ।

इन रियायती दरों का प्रस्ताव सीपीटी द्वारा सीडीएस में कंटेनर की मात्रा बढ़ने के उचित अनुमान के साथ किया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस उद्देश्य की प्राफ्ति हो, सीपीटी के लिए संमावित प्रधालकों से यातायात की गारंटी मागना उचित होगा । सीपीटी को इस परामर्श पर आगे कार्यवाही करने और एक उपयुक्त स्कीम बनाने का सुझाव दिया जाता है ।

(xvii) सीपीटी इगित कर चुका है कि स्कीम का प्रस्ताव केवल छः महीने की अवधि के लिए सीमित रहने के लिए नहीं किया गया है, परंतु परिवर्तन, अगर आवश्यक पाया गया, करने के लिए छः महीने की अवधि के बाद व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी । हम इसे उचित दृष्टिकोण पाते हैं और तद्नुसार इसका समर्थन करते हैं। अगर सीपीटी द्वारा की गई समीक्षा से किसी प्रशुल्क समायोजन की आवश्यकता का पता चलता है तो सीपीटी इस प्राधिकरण के विचारार्थ उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है ।

14.1. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र रूप से ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण उपरोक्त पैराग्राफ 13 (xiii) में यथाप्रदर्शित सीडीएस में समेकित दर से मजदूरी के बकाया के लिए दरों के पृथक्करण के अधीन ऊपर पैराग्राफ 2.1 (iii) और (iv) में यथाउल्लिखित सीडीएस और एचडीसी के बीध बार्जों द्वारा कंटेनर के आवागमन के लिए दरें और शर्तें अनुमोदित करता है ।

14.2 यह आदेश तत्काल प्रभाव अर्थात 5 नवम्बर,2001 से लागू हो जाएगा ।

14.3. सीपीटी को उपरोक्त निर्णयों को शामिल करते हुए सीडीएस और एचडीसी पर लागू अपने दरों के मान को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है ।

> एस. सत्यम, अध्यक्ष [विज्ञापन/III/IVं/143/2001/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2001

No. TAMP/61/2001-CPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Calcutta Port Trust for fixation of rates for movement of containers by barges between the Calcutta Dock System and the Haldia Dock Complex as in the Order appended hereto.

SCHEDULE Case No.TAMP/61/2001-CPT

The Calcutta Port Trust (CPT)

Applicant

<u>ORDER</u>

(Passed on this 5th day of November 2001)

This case relates to a proposal received from the Calcutta Port Trust for fixation of rates for movement of containers by barges between the Calcutta Dock System (CDS) and the Haldia Dock Complex (HDC).

- 2.1. In its proposal, the CPT has made the following points:
 - (i). Due to a sudden fall in the river draft of CDS, container traffic at the CDS, especially exports, started dwindling from August 2000 onward. At least three main line operators viz. Maersk, P&O and NOL (APL) have shifted their activities from the CDS. Now the containers are carried to the HDC by road transport for subsequent shipment from there. Against the estimated handling of 1,59,825 TEUs in 2000-2001, the CDS has been able to handle only 1,37,845 TEUs which is less by 9454 TEUs in comparison to that of last year and 21980 TEUs than the estimated throughput of 2000-2001. This has resulted in a loss of estimated revenue by Rs.2.87 crore.
 - (ii). Though all steps are being taken to improve the river draft at the CDS, the result of such action on this stretch of the river cannot be predicted with any degree of certainty. Against this background, need is felt to take steps for movement of container by barges between the CDS and the HDC in order to retain the container traffic at the CDS.
 - (iii). The CPT has proposed the following consolidated rate applicable at the CDS for containers handled through barges at the non-CPY berths, on an experimental basis for 6 months:
 - (a). For 20 ft. container Rs.2300/- per TEU.
 - (b). For 40 ft. container 1.5 times of the above rate.
 - (c). For container exceeding 40 ft. length double the rate at (a) above.
 - (d). A rebate of Rs.150/- per TEU on the incremental traffic in excess of 20,000 TEUs per barge operator per year.
 - (iv). The CPT has also propose a consolidated rate of Rs.2000/- per TEU + 10% special rate, for the containers moved by barges between the CDS and the HDC, payable at the HDC (since 10% rebate will apply in the present case, the rate will effectively be Rs.1800 + 10% special rate i.e., Rs.1980/- per TEU). The proposed rate is to be inserted in the Scale of Rates under the following nomenclature:

" Clause 18.1.11 Container landing from Barges to Quay, transportation to Stack Yard including lift-off transportation from Stack Yard including lifton back to quay for ultimate loading in ships or vice versa, without use of any port equipment."

Insertion of the following notes in the Scale of Rates is also proposed:

"18.14 (a). Container charged under Clause No.18.1.11, will qualify for rebate at the rate of 10% on charges at SI.No.1 under Clause 18.1.

- (b). For any other services, not mentioned in the Clause 18.1.11 charges shall be levied as per relevant provisions of Scale of Rates in addition to the charge mentioned against 18.1.11.
- (c). The rate under Clause 18.1.11 shall apply at the berths operated by CPT (HDC) only."
- 2.2. In support of the rates proposed, the CPT has given the following justifications:
 - (i). Scale of Rates with effect from 11 February 1993 contained an all inclusive port charge of Rs.1000/- per TEU for transfer of container from Calcutta and ultimately shipped from the HDC or vice versa. But due to some reasons such inter-dock transfer of containers by barges did not materialise and as such no specific rates have been provided in the Scale of Rates revised in 1996 and 2001.
 - (ii). Considering the rate of Rs.1000/- per TEU in the year 1992-93, if annual average inflationary rate of 10% is considered, the present rate works out to Rs.2358/- per TEU (moderated to Rs.2300/-) at CDS; and, the rate comes to Rs.2000/- per TEU at the HDC.
- 2.3. The Board of Trustees of the CPT has endorsed this proposal.

3.1. M/s. Capstan Shipping & Estates Limited (CSE) have also submitted an application for fixing a special port charge for container barge service between Kolkata-Haldia-Kolkata. This application has been registered as a separate case (Case No.TAMP/59/2001-CPT) and processed accordingly. In view of the interlinked nature of these two cases, this Authority decides to take them up together for consideration.

- 3.2. In its application, the CSE has made the following points:
 - (i). We have developed a container barge feeder service. We have extensively interacted with the Calcutta Port Trust (CPT). A detailed market survey covering the Trade and Shipping has also been conducted by us; and through, various presentations we have highlighted comparative cost chart to the Port so that it can recommend a rational container related charge for the barge service.
 - (ii). For retention of traffic particularly in the CDS and at the same time increase of traffic at the HDC it was appreciated by all concerned that cost and operationally efficient container barge service at both the Dock Systems with private investments on shore equipments like cranes, reach stackers, trailers, etc., will attract container operators to use the barge service in preference to alternative modes of transport.
 - (iii). The CPT has decided a box rate of Rs.2,300/- per TEU and not Rs.1,500/- per TEU as proposed by us and a volume discount of Rs.150/- per TEU proposed to be allowed for volume above 20,000 TEU per year.
 - (iv). No decision was taken regarding Haldia. Without a decision regarding Haldia port charges, the container barge service could not possibly commence operation.
 - (v). As operators, we were advised by the CPT to commence the service. The CPT advised that, after six months, the matter would be reviewed further to give more concession as per performance and Trade demand.
 - (vi). We made it clear that the service was workable only as per the cost package given by us. The project will not be workable if the service product cost is not cheaper than the road and rail mode.
 - (vii). Since there have not been any barge operation till now, special barge tariff was agreed to be fixed and it was mentioned during the course of our various

presentation that the container barge service will benefit both the dock systems. Over 50% concession was extended earlier to similar service.

- (viii). The HDC's proposal presented in the July meeting of its Board was structured by way of an irrationally high rate and from this rate the Port has projected a concession of Rs.935/- per TEU.
- (ix). We understood from the Ministry of Shipping that its view was that the port charges in both dock systems should be so structured as to make the total barge service product cost package cheaper than road and rail.
- (x). We have already invested substantially in creating barge hardware for the service including chartering of barges, mobilisation of four shore-cranes for loading / unloading barges, reach stackers and trailers for on-shore movements, and a fully computerised Portnet system.
- (xi). A rational rate may be fixed so that this container barge feeder service can be started. We are ready with the equipment and have been interacting with the market regarding early start of the service over last few months and, therefore, fix an ad-hoc port charges not exceeding Rs.3000/- per TEU with breakup between Kolkata and Haldia, valid for a few months, pending hearing our appeal and fixing a firm rate.

4. A copy of the proposal of the CPT and a copy of the representation of the CSE Limited were forwarded to all the concerned users / representative body of port users. A copy of the representation of the CSE was sent to the CPT also for comments. The comments received are summarised below:-

Calcutta Custom House Agents Association (CCHAA)

- (i). The cost difference between road movement and barge movement of container is just Rs.160/-per TEU.
- (ii). The THC given are not yet fixed by the ASIC. After the approval, the THC may be higher.
- (iii). We feel the rate shall be as under:

(a).	For 20' container	Rs.1000/- per TEU
(b).	For 40' container	1.5 times of the above rate i.e., Rs.1500/-
(c).	For container exceeding 40' length	25% more on SI. No.(b), i.e., Rs.1875/-

- (iv). The rates proposed above will attract substantial volume of business atleast 70% of road movement and this will be helpful to the trade considering the approach road to Haldia.
- (v). The draft surcharge (fixed by ASIC) of US \$ 50 per TEU is not being charged now, these charges have been renamed as Calcutta Port Surcharge and a few lines are charging at US \$ 30 per 20' and US \$ 60 per 40'
- (vi). Rebate shall not be given to Steamer Agent who will operate barges. This is to be given to the Exporters and Importers or those offering 200 TEUS of Rs.200/- per TEUs per month or the volume targets as may be fixed by TAMP and Calcutta Port Trust.

Eastern India Shippers Association (EISA)

- (i). Taking into account the entire chain of transportation of container from Kolkata to Haldia by barge, the endeavour shall be to make the barge option considerably cheaper than the road transportation mode; and, in this connection a cost differential of at least Rs.1500/- per TEU shall be considered to ensure that the proposed barge movement actually takes off.
- (ii). A promotional tariff will be necessary to attract traffic in the initial stages until its operational efficiency is established.
- (iii). Factors such as greater number of handling, transit times between Kolkata/Haldia availability / non-availability of night navigational facilities, loadability of barges have to be borne in mind and adequately compensated for barge movement to score over other modes of transport.

Master Stevedores' Association

- (i). The rate proposed by the CPT for movement of containers by barges to and from Kolkata is on the higher side and after taking into account the marine charges, the rate is not competitive in comparison with road and Rail movement.
- (ii). Unless overall costing in movement of containers by barges is competitive than that of by Road and Rail and proposed movement of containers by barges may not be attractive, as a result of which, CPT will be the ultimate loser.
- (iii). If barge movement is encouraged, then Inland Water Transport will also be encouraged, which is long over due.

Association of Shipping Interests in Calcutta (ASIC)

- (i). Although the proposed service looks to be workable for the trade at the Kolkata/Haldia, it entirely depends on the acceptability by the Trade i.e., by importers and exporters.
- (ii). The efficiency of the service will be depending on adequate availability of infrastructure / equipment and other logistical support including dedicated fleet of barges.
- (iii). The ASIC at this stage is not aware of the involvement of all concerned operators as far as equipments and the logistic are concerned. Therefore, the ASIC will be able to make further realistic comments once the service is introduced and run for certain period.

The Bengal Chamber of Commerce and Industry (BCCI)

- (i). The traffic has primarily been diverted to Haldia because of tariff barrier and all the major lines have decided to operate only out of the Haldia Dock Complex. While checking with the Trade it is observed that the trade cannot absorb any further cost.
- (ii). Feeder operators may derive some benefit out of it as they may not be required to call at the CDS. This may bring economy in their operation. The matter is purely between the feeder operators and barge operators. If the feeder operator finds it economically viable utilising the barge service then they may try this venture.

Calcutta Chamber of Commerce and Industry (CCCI)

(i). Container cargo handling through Haldia Dock is much cheaper than that of Calcutta Dock. So, service charges in the CDS shall be competitive with the HDC.

- (ii). Service charges shall not be such that they jeopardize the interest of exporters and importers.
- (iii). Charges of movement of container by barges need to be competitive with the charges of road transport system.
- (iv). Charges shall be such that they become beneficial both for the port authorities as well as the exporters/importers.

The Shipping Corporation of India Limited (SCI)

- (i). The barge service can only lead to a further diversion of vessels from Kolkata to Haldia leading to the CDS basically becoming a dock complex for barges only. It is clear that the CPT is interested in bringing back the container traffic to the CDS. If the CDS is only to cater to the barges and not to the feeder vessels, then the whole approach of the CPT is a contradiction in itself
- (ii). Increase in the original container traffic will not depend on the barge service; but, it is totally dependent on the industry and commerce and the imports and exports out of this region as a whole.
- (iii). The statement of the Capstan Shipping and Estate Limited that there has been no barge operation till now is not correct. The SCI itself had undertaken such operation about 10 / 12 years above but had been forced to give it up because of severe operational and infrastructural constrains.
- (iv). The HDC just cannot accept all the feeder vessels with its present infrastructure. With the current diversion of container traffic from Kolkata to Haldia, even now there are occasions when the feeder vessels have to wait for berthing at the HDC and hence the barge service can only add to this problem and not mitigated it.
- (v). The transportation of a container from Kolkata or Haldia to Paradip and Visakhapatnam will have a cost differential much more than Rs.1000/- per TEU and it is not understood how this can be an incentive for retention of the traffic for Haldia which traffic would have otherwise moved to some other port.
- (vi). The barge service is only an alternative mode of transportation between Kolkata and Haldia and it cannot lead to generation of any additional container traffic for the port as a whole nor additional revenue for the port as indicated. In fact, if vessel calls are reduced at the CDS under the ideal conditions of a fully successful barge service, leading to the feeder vessels turning around from Haldia, then this can only affect the revenue of the port and not lead to an increase.
- (vii). Since the CPT's proposal already leads to some advantage for barge transportation vis-à-vis the road transportation, it is felt that the proposal of the CPT which has been made after due deliberation be accepted.

5. On the proposal of the CPT, M/s. Capstan Shipping and Estates Limited have given the following comments:

- (i). The sudden fall in river draft of CDS is a recurring phenomenon and it has been rightly mentioned by the CPT that river draft on the Kolkata stretch cannot be predicted with any degree of certainty.
- (ii). The Calcutta containers are not only carried to the HDC by road transport, but are also shifted to ports like Visakhapatnam and Paradip.
- (iii). Presently 12 vessels are plying between Haldia and Singapore and connecting Kolkata container cargo by using our barges service. The cost saving to feeder

operators is enormous and they are waiting for adequate logistic support to start calling Haldia by totally eliminating CDS.

- (iv). To retain containers traffic for CDS, a minimum differential of Rs.1000 per TEU between the existing cost package to the trade using road transport vis-a-vis our barge service cost package is essential. This is possible if the wharfage at the CDS is brought down to Rs.1500 per TEU and port charges at Haldia is brought down to Rs. 1,200 per TEU.
- (v). If the entire container traffic can be retained at the CDS through our proposed IWT Container Barge Feeder Service, then there will be revenue retention at the CDS and revenue augmentation at the HDC.
- (vi). If the CPT loses its entire container traffic of (say) 160000 TEU per year, then the revenue scenario for the CDS and the HDC will look as follows:
 - (a). We may assume conservatively 50% of the Kolkata Traffic will go to Haldia and Balance 50% to other ports.

On this basis, notionally the CDS will lose about Rs.35 Crores per year revenue. At the existing level of rate, Haldia will have a revenue augmentation through 50% additional traffic handling of Rs.18 crores per year. This way, Net Revenue loss between the CDS and the HDC will be Rs.17 crores per year.

- (b). If the CDS wharfage and HDC charges on a concessional/promotional basis are fixed by the TAMP according to our recommendation, then the CDS will retain revenue to the extent of Rs. 24 crores per year and Haldia will augment its revenue by about Rs. 10 crores per year. This way between Kolkata/Haldia, there will be hardly any loss of revenue.
- (vii). The 50% traffic augmentation at the HDC out of the CDS's loss may also prove difficult to sustain at the existing level of rates.
- (viii). For the CDS in particular promotion of IWT Services will be of immense value by way of substantial additional traffic generation in the river service routes of Kolkata – Bangladesh – Assam through National Waterways No.2 and Kolkata-Farakka-Patna-Allahabad by National Waterway No.1. This situation provides twin benefit to the idle CDS infrastructures and almost idle IWT fleet of the CIWTC, which will get resurgent under private charters.
- (ix). The HDC has gone for global tender inviting private parties to invest in an exclusive state-of-the art container terminal at berth No.11 with emphasis on high productivity and handling of larger size gearless container vessels. This will not happen without retention and augmentation of container traffic between Kolkata-Haldia as envisaged in our proposed container barge service.
- 6. The CPT has given following comments on the representation of the CSE:
 - (i). The box rate of Rs.2,300/- at the CDS and Rs.2000/- at the HDC have been proposed by the CPT taking into consideration the box rate existing in 1993 Scale of Rates for transfer of containers between the two dock systems. This was an all inclusive rate of Rs.1000/- per box and on this amount the annual average rise in expenditure to the tune of 10% per annum computed after every year has been considered and the rate came to Rs.2358/- per TEU which has been rounded off to Rs.2300/- per TEU at the CDS. For HDC a further concessional rate of Rs.2000/- per TEU has been proposed.
 - (ii). The CSEL has since approached the CPT to start the operation on the basis of indicative box rate as approved by the CPT. The matter has been considered

and the CPT does not have any objection to allow the party to undertake movement of containers on trial basis provided they agree to pay the box rate approved by the CPT, subject to adjustment on receipt of TAMP's final decision in the matter.

- 7. The CPT has given the following further comments:
 - (i). The CSE is furnishing different cost elements on different occasions which are confusing. The CPT has, however, considered the cost elements which were indicated by the barge operators in writing at the time of processing proposals.
 - (ii). We do not find sufficient reasons to review our proposal to fix all-inclusive box rate of Rs. 2300/- per TEU with a rebate of Rs.150/- for handling more than 20,000/- TEUs per annum at the CDS and Rs.1980/- per TEU at the HDC.

8. A joint hearing on both the cases was held on 7 September 2001 at the CPT. In view of the allied nature of the issues involved, both the cases were taken up together for hearing. At the joint hearing, the following points were made:

Calcutta Port Trust (CPT)

- (i). The CPT is a riverine port. There are draught problems. Feeder vessels have started stopping at the HDC. Containers from the CDS goes to the HDC by road. Our container infrastructure at the CDS is idle, hence our concern.
- (ii). The 1993 provision was deleted in 1996 because there was no barge traffic developing. This was so even in the 2001 revision. The present proposal is a post-revision development.
- (iii). The composite rate indicated at the CDS includes the 'special rate' for wagearrear-liability.
- (iv). Historically the HDC has had a lower rate for container handling. We have, therefore, retained the differential.
- (v). The rate proposed by us is Rs.160/- less than the cost of transportation by road. The idea is to attract the traffic that is going away. The idea is not to subsidise decongestion of roads.
- (vi). We have also proposed some liberalisation of conditionalities (e.g. 'free days') which were included in the 'discount proposal'. We wish to pursue that also.
- (vii). These rates are common to all and not only for the CSE. Any barge operator can avail of these rates.
- (viii). The rates given are quite liberal. There is no scope for any further reduction as asked for by the CSE.
- (ix). We have made some rough calculation on inflation rate. We have not gone by the annual rates published by the Ministry of Finance.
- (x). We have not proposed the scheme only for six months. We have proposed a review after six months.
- (xi). The CSE has given in assurance of 5000 containers per month. We have not thought of how to ensure this performance. But, we will do that through a Bank Guarantee arrangement or otherwise.
- (xii). The proposal is only about 'laden' containers and not for 'empties'.

M/s. Capstan Shipping and Estates Limited (CSE limited)

- (I). We are thankful to you for processing this case very speedily.
- (II). We have given a detailed proposal. All costing has been explained. We had detailed consultation with the CPT. Our rates are more realistic.
- (III). The proposal of the CPT is subsequent to our proposal. We endorse their logic and reasoning especially about the draught problems.
- (IV). Please take into account seriously the points stressed in our letter dated 1 August 2001 (i.e., our comments on the CPT proposal.)
- (v). We provide a one-window service. This will give a Rs.500/- per TEU saving to the shipper.
- (vi). Our proposal is 'for container' and not 'for TEU'. The 1993 tariff was also 'for container'
- (VII). We have given justification in our letter dated 13 August 2001 for 'retrospective' fixation of rates. Please accept our request in view of the 'extraordinary circumstances'.
- (VIII). The who's 'unit's started with a request from the CPT in November 2000 about barge operators. We have invested heavily. We have waited for long. It is now financially in the us. Please let us start with a 'provisional rate'.
- (IX). Please read the minutes of the Board meeting Almost all the Trustees said that the CPT rates were not 'competitive rate'. Therefore, consider our proposal provisionally.
- (x). Our proposal is based on a detailed market survey. It is reliable. Please go by that. The CPT rates are unviable.
- (xi). The 'product cost' we have offered includes full extension to the trade of the concessions involved. We are not holding them back.

The Calcutta Custom House Agents' Association (CCHAA)

- (i). There is no concession involved. This is a new arrangement proposed. Therefore, this is a new tariff.
- (II). It is not enough to talk only of the CPT rates. The THC rate to be fixed by the ASIC is equally important.
- (III). The procedure for collection of charges by Lines / Agents / Shippers is not clear. Who will pay what must be clearly delineated.

Eastern India Shippers' Association (EISA)

This is a new concept for Shippers. A concession of Rs.1500/- per TEU will be the minimum incentive necessary to motivate the shipper.

Shipping Corporation of India Limited (SCI)

- (i). Vessels are not coming to the CDS. These concessions will fully convert the or ato a 'barge port'. How will this loss be made good?
- (II). It is not correct to say that traffic has been diverted. Isolated parcels may have gone away. Otherwise, there has been a 9% growth per annum.

[PART III-SEC, 4]

Container Shipping Lines Association (CSLA)

The barge movement must be seen as an 'optional facility' and not as an 'alternative arrangement'.

9. At the joint hearing, the CPT wanted about ten days time to file a written submission, which was granted. A list of point raised in the joint hearing was sent to the CPT on 10 September 2001 for specific comments.

10. The CSE has also submitted a written submission after the joint hearing. The CSE Limited has given the following comments / clarification on the points raised in the joint hearing:

- (i). Container traffic diversions from Calcutta is not moving to Haldia, but also to Vizag particularly Aluminum Ingots. The barge container service is designed to have traffic and revenue retention both for the Calcutta and Haldia. Therefore, there shall be reduction in rates by both Calcutta and Haldia to attract traffic.
- (ii). The rate of Rs.1000/- per container (both TEU &FEU) was the consolidated container barge rate covering Calcutta and Haldia separately. The CPT mentioned that if this rate has continued basis 1996 and 2001 Scale of Rates, then as per the increase given, it would not have exceeded Rs.1000/- per TEU at both Calcutta and Haldia. But this according to the CPT is not workable, as this kind of concession will hit their traffic volume at CPY. It is practically certain that in the long run feeder vessels will be calling Haldia only and the entire traffic of nearly 1,31,000 TEU of Calcutta traffic will require handling by barges, if this traffic is to be retained in Calcutta and for this facilities in CPY will be very much utilised.
- (iii). While the CPT mentioned against query from the Trade Clearing Agents and Shippers, that there is a difference of Rs.160/- per TEU in favour of the package barge cost, we have clearly established through comparative rate chart that barge rate is nearly Rs.400 per TEU costlier them the cost of transportation by road, if proposed CPT rates are made applicable.
- (iv). It was rightly mentioned by the Trade side that uniform transportation charges of Rs.1500/- per TEU as taken by the CPT in the cost package for inland transportation of containers between Shipper's / Consignee's go-down to CDS will go up to over Rs.3000 in many cases and hence the rate is very unrealistic.
- (v). Our service will be viable if there is adequate traffic support and our capacity at present is about 5000 TEUs per month. As pointed out by the EISA, the Trade will expect a cost benefit of Rs.1500/- per TEU from the barge container service and for this fixing rate of Rs.1500/- per TEU wharfage at Calcutta and Rs.1000/- per TEU at Haldia will be essential. This will ensure not only retention of container traffic but also substantial growth of the same both for Calcutta and Haldia.
- (vi). The Clearing Agents' have already mentioned about difficulties experienced by the trade in moving containers to Haldia by road due to single lane traffic in some vital sectors and emphasised on barge service as preferred mode of transport.
- (vii). In view of the major cost benefit to Feeder Operators if they eliminate Calcutta calls, the Trade can rightfully claim a freight benefit of minimum US \$ 50 per TEU from the Shipping Lines.

11. The CPT has submitted a written submission as agreed at the joint hearing. In its written submission, the CPT again justified their proposal. In addition, the CPT has also given the following comments / clarification on the points raised in the joint hearing:

(i). To work out the proposed rate, the all-inclusive rate of Rs.1000/- per TEU of loaded containers existing in the year 1992-93 has been taken as the basis and by

loading an annual average inflationary rate of 10%, the present rate works out to Rs.2358/- per TEU. So far as the CDS is concerned, it has been decided that the all-inclusive rate will be Rs.2300/- per TEU with a provision that if the incremental traffic is in excess of 20000 TEUs per annum, the barge operator will be given a rebate of Rs.150/- per TEU, the effective rate then being Rs.2150/- per TEU of the incremental traffic.

- (ii). Of the total loaded container population at CDS, about 55% is import and the balance 45% is export. All import containers are levied @ Rs.5000/- per TEU at berths other than the Container Terminal or Container Parking Yard (CPY). Since the proposed operation of container barges has been decided to be undertaken in the non-CPY berths where equipment support is provided by the private operators, a rate of Rs.5000/- per TEU is presently applicable as per the existing Scale of Rates. For export containers at non-CPY berths, there are three rates viz., for high valued cargo Rs.5000/- per TEU, medium valued cargo Rs.3500/- per TEU and low valued cargo Rs.2800/- per TEU, the volume of three types of exports being 5%, 30% and 65% of the total export containers at present. Thus, the weighted average rate per container works out to around Rs.4154/-. Compared with this rate, the proposed all-inclusive rate of Rs.2300/- per TEU for barge mode is definitely a concessional rate.
- (iii). So far as the HDC is concerned, the present on-board charges and wharfage per TEU comprise Rs.750/- for landing / shipment from barge to quay and vice versa, Rs.300/- for transportation from quay to stackyard or vice versa by party's equipment Rs.300/- for transportation back from stackyard to quay or vice versa by party's equipment, Rs.1500/- for shipment / landing plus 10% special rate on the aggregate, i.e., a total of Rs.3135/- per TEU. While fixing the rate for barge movement at the HDC taking the rate existing in the year 1992-93 in the same manner as done for the CDS, a further concessional rate of Rs.2000/- per TEU has been proposed and considering that there will be a rebate of 10% for use of party's equipment on board the vessel and thereafter applying the special rate of 10%, the ultimate rate decided by the Port Trust Board comes to be Rs.1980/- per TEU. This is also a concessional rate in comparison to the rate of Rs.3135/- per TEU a/c containers handled by ships.
- (iv). Concession / rebate at the HDC has been proposed to make the barge mode competitive so that diversion of containers by road from the CDS can be prevented and simultaneously handling at the HDC is also not affected.
- (v). The concession is proposed keeping in view such container vessel which cannot come to the CDS but will take containers from the HDC by land mode. The vessels which come to the CDS can avail the handling facilities at the container terminal which will be cheaper than the barge mode. They can also work at nonterminal berth of the CDS. Keeping in view no concession in box rate has been proposed for movement in respect of the container vessels calling at the CDS.
- (vi). If the overall average percentage increase in the rates in 1996 and in 2001 is loaded on the rate of Rs.1000/- existing in 1998, the same comes to be even less than Rs.1500/- per TEU. This rate is not acceptable for both Dock Systems. In the case of the HDC, this rate will be less than the revenue generated from single loading or unloading operation.
- (vii). The consolidated charge of Rs.2300/- at the CDS covers the 10% special rate levied in the context of wage revision.
- (viil). The prospective barge operators have given an assurance of handling 5000 TEUs per month. Recognising this assurance, concessional rates are proposed.

3679 42)2001- 4

- (ix). The Scheme has not been proposed to be limited for a period of six months. It will be a continuous Scheme. The CPT will, however, review the position after six months.
- (x). The rates proposed are not likely to have any adverse affect on the handling of vessels at the container terminal of the CDS.
- (xi). Since the empty containers are already enjoying a lower rate, the normal rate prescribed in the revised Scale of Rates notified on 4 April 2001 may continue to apply.
- (xii). The CPT has proposed common user rate which has not been proposed keeping in view any particular barge operator. Whoever finds it viable, may work at the berth designated for handling of barges carrying containers.
- (xiii). In view of the position explained above, it will be clear that there is no justification to reduce the consolidated rates for barge movement of containers already proposed by the CPT. Besides, it has also been submitted in our proposal that these rates will be watched for a period of six months and if it is found that due to changes in the freight by road / rail or otherwise the same is not competitive, the CPT will certainly review the matter and take appropriate steps.

12. The CSLA has also submitted its written comments after the joint hearing, which are summarised below:

- (i). The proposals are not in response to the request from Lines or the Trade,
- (ii). The Lines are not convinced that the Trade will wish to have to face the complications of handling cargo through two terminals.
- (iii). It is not clear why this proposal is before the TAMP. It is a coastal feeder service which is a subject of bilateral discussion between the Operator and Lines.
- (iv). It is not clear whether the service offered is practical and also not sure the rates guoted are full expression of the costs involved.
- (v). There are direct services to both CDS and HDC which can be utilised in the first instance. If movement from one dock to another dock is required then rail movement can be considered.

13. With reference to the totality of information collected during the processing of these cases, and the arguments advanced at the joint hearing, the following position emerges:

- (i). This proposal has been made by the CPT with an objective of bringing back container traffic at the CDS which is dwindling due to a draught restriction in the navigable channel. The vessels, as reported, prefer to call at the HDC due to the draught problems faced. The containers to / from the HDC move by other alternate modes of transportation to the neighbourhood of Kolkata. If barge service is introduced for inter-dock movement of containers, there will be an additional traffic at the CDS and thus additional revenue to the CPT. As has been correctly pointed out by the SCI, the barge service is only an alternate mode of transportation between the CDS and the HDC and it cannot lead to any new container traffic for the port.
- (ii). A separate rate for handling containers moving between the CDS and the HDC was available in the Scale of Rates (SOR) of 1993. This rate was a concessional one when compared with the handling charges for containers for / from other destinations. That being so, there cannot be any objection from the container vessels calling at the CDS about any discrimination, if the concession / rebate is only given for the barges. The proposal of the CPT is to be seen only for a revival

of the provision in the Scale of Rates of 1993 with a suitable adjustment in rates. It is noteworthy that the CPT had not proposed inclusion of the concessional rate in the subsequent amendments to its Scale of Rates, as the inter-dock movements of containers by barges did not materialise. Since the Port has now received proposals from operators showing interest in such inter-dock movements, the relevant tariff item is now proposed to be revived.

- (III). The CSLA has observed that the barge movement is a matter between the operator and the Lines and questioned the necessity of this proposal being considered by this Authority. It is relevant here to mention that the proposal is to fix container handling charges to be levied at the CDS and the HDC. Statutorily, only this Authority can approve such rates. The trading arrangement of barge operation can, however, be between the Lines and the barge operators, but not determination of Port tariffs.
- (iv). The CSE has not proposed any specific rate based on cost for container handling at both the terminals. Its request for a rate is based on comparison of cost of moving containers by barges vis-à-vis road / rail movement. It has initially asked for an ad-hoc rate of Rs.3000/- per TEU; but, it has subsequently suggested a rate of Rs.1500/- per TEU at the CDS and Rs.1200/- per TEU at the HDC.
- (v). The EISA has observed that a cost differential of Rs.1000/- per TEU is necessary to provide incentive for containers transported through rail / road to shift to the barge mode. This point is also stressed by the CSE. It is noteworthy that incentive for such a shift in transportation mode is not confined only to the port cost but also depends on the convenience of transportation and efficiency of the services offered by the barge operators. Further, it cannot always be possible to fix port tariff with reference to cost of transportation by alternate modes. It is relevant here to note the CPT's assurance that the Scheme will be reviewed after 6 months after assessing the economics of transportation by different modes.
- (vi). This Authority has already decided against allowing any concession in cargo handling charges for coastal cargo. This decision is primarily based on the objections raised by many of the Port Trusts about the ports being made to subsidise for de-congestion of road / rail traffic. But in the instant case, the CPT has categorically mentioned that its proposal is for preventing movement of containers from Kolkata to Haldia bypassing the CDS. That being so, this proposal cannot be treated as a one for extending concession for coastal cargo movement. It is noteworthy that the proposed operation is only an inter-dock movement and not inter-port movement.
- (vii). The CSE has argued that the rate in the Scale of Rates in 1993 was for handling a 'container' and not for 'TEU' and requested for similar arrangement to continue in the proposed tariff scheme. The reply given by the CPT clearly indicates that the rate prescribed in the SOR in 1993 was prescribed on TEU basis. Further, container handling charges everywhere else have been prescribed on a TEU basis only. That being so, there is no reason for accepting the request of the CSE for fixing handling charges on 'container' basis.
- (viii). For arriving at the proposed rate, the CPT has applied an assumed inflation rate of 10% per annum over the rate prescribed in the SOR of 1993. When the average inflation suffered by the economy since 1993 is around 5%-6% per annum, the logic applied by the CPT cannot be totally accepted. If the rate in the SOR in 1993 had continued, it would have also been revised / reviewed during 1996 and 2001 revisions of SOR. To our query, the CPT has indicated that the then prevailing rate was concessional and if the general increases allowed in these revisions were applied, the handling charges would be unworkable. It has also mentioned that the rate at the HDC in that case will become less than the rate for single operation (vessel to quay) when in fact the HDC under the proposed arrangement will be handling the same container twice (vessel to quay and again

,uay to barge). The argument advanced by the CPT in this regard is found to reasonable and, therefore, accepted.

- (IX). The CSE has mentioned that the rate for inter-dock movement of containers in Scale of Rates of 1993 was fixed by allowing more than 50% discount over the normal handling charges. At the existing rates of handling containers at the non-CPY berths of the CDS, the average rate for handling containers works out to Rs.4154/- per TEU, as estimated by the CPT considering the traffic mix. By allowing a 50% concession over this average rate and adding 10% special rate for wage arrears, the rate comes to around Rs.2300/- per TEU, which is the rate proposed by the CPT for container handling through barges at the non-CPY berths of the CDS. That being so, the rate proposed by the CPT cannot be said to be unreasonable with reference to the existing tariff for other containers and the tariff available for inter-dock transfer of containers in the Scale of Rates of 1993.
- The existing Scale of Rates relating to the HDC prescribe a 50% discount over the (x). normal on-board and wharfage charges leviable on cargo landing / shipped on to / from barges / flats / boats. By extending this provision to containers and taking into account the applicable charges for other services, the total port tariff comes to Rs.3135/- per TEU at the HDC for a composite service of unloading containers from barges till their shipment in the connecting vessel (or vice-versa). In fact, there is no justification for allowing any concession / rebate in the handling charges at the HDC since container vessels will in any case go to the HDC. As has already been mentioned, the special rate proposed for containers handled through barges at the HDC includes charges for landing / shipment of containers from / to the (ocean- going) vessels. In any case, the HDC would have received this shipment / landing charge from all of these containers which is Rs.1500/- per TEU as per the existing Scale of Rates. It is to be recognised that the provision of allowing 50% concession in the on-board charges is not applicable on cargo landing/loaded from/to (ocean-going) vessels.

In view of the position explained above, the rate proposed by the CPT is found to be reasonable. There is no ground for reducing the rate proposed by the CPT further, as suggested by the CSE. Such a reduction in the rate may put the HDC in a disadvantageous position even after doing a double handling operation.

- (xi). As has already been mentioned there is no merit (even) in reducing the existing rates at the HDC. In fact, the CPT proposal to allow concession at the HDC is only to encourage traffic at the CDS. It is, however, to be recognised that there is no financial loss to the HDC at the rates proposed by the CPT and it will only gain marginally due to double handling of containers.
- This Authority has already notified the tariffs for the CPT. While doing so, there (XII). was occasion to comment on the financial health of the CPT. Significantly, the increases ordered were necessary to cover just the operating costs; the return allowed on capital employed was 'nil' or virtually so in respect of the CDS. With any meaningful return on capital employed, the tariff hikes would have had to be very much higher. In this backdrop, any (further) concessions should ordinarily be unthinkable. But, this Authority is inclined to accept the pleadings of the CPT, based on its commercial judgement, that the concessions will revive the container traffic and that the increase in overall revenue earnings will more than offset the concessions given. When the concessions proposed by the CPT itself are thus not quite in line with the general position adopted by this Authority, it will be incongruous for us to consider further concessions contemplated by any single operator. In fact, it will be self-contradictory for us to require the CPT to offer concessions more even than what they themselves have proposed. Accordingly, the representation of the CSE is rejected.

- (xiii). At the HDC, the rate of Rs.2000/- per TEU proposed by the CPT is exclusive of a 10% special charge towards wage arrears. At the CDS, the proposed rate of Rs.2300/- per TEU includes this element also. At the CDS also, this element can be segregated so that the special rate to be levied can be properly accounted for and transferred to the escrow account maintained for the specific purpose of discharging the wage arrear liability. Accordingly, the rate at the CDS is prescribed as Rs.2090/- per TEU plus 10% special rate.
- (xiv). The rates proposed by the CPT are for laden containers. The CPT has clarified that the rates for handling empties will be governed by the existing rates and provisions in its SOR. Since the existing rates for empties are very low, particularly at the CDS, this approach proposed by the CPT is reasonable. Further, none of the users have also raised any objection to the rates levied on empty containers.
- (xv). The CPT has proposed a volume discount of Rs.150/- per TEU on the incremental traffic in excess of 20,000 TEU per barge operator per year at the CDS. This proposal is approved. The request of the CCHAA to pass on the benefits of rebate direct to the shipper is reasonable; but, it is difficult to enforce since all container related charges are realised from the Lines. Realising charges from one agency and allowing rebates to some other agency may pose avoidable billing problems.
- (xvi). The handling rates now approved for container handled through barges are definitely concessional when compared to the rates prescribed in the existing SOR for other containers.

These concessional rates are proposed by the CPT with a reasonable expectation of container volume at the CDS to pick up. In order to ensure that this objective is achieved, it will be advisable for the CPT to seek traffic guarantees from the prospective operators. The CPT is advised to pursue this advice further and evolve a suitable scheme.

(xvii). The CPT has already indicated that the scheme has not been proposed to be limited only for a period of six months but only the arrangement will be reviewed after a period of six months for making changes, if found necessary. We find this to be a reasonable approach and endorsed it accordingly. If the review to be undertaken by the CPT reveals any requirement for tariff adjustment, the CPT may come up with a suitable proposal for consideration of this Authority.

14.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the rates and conditionalities for movement of container by barges between the CDS and the HDC as mentioned in paragraph 2.1. (iii) and (iv) above subject to segregation of the special rate for wage arrears from the consolidated rate at the CDS as indicated in paragraph 13 (xiii) above.

14.2. This Order will come into force with immediate effect, i.e., with effect from 5 November 2001.

14.3. The CPT is directed to amend its Scale of Rates applicable to the CDS and the HDC appropriately by incorporating the above decisions.

S. SATHYAM, Chairman [ADVT/III/IV/143/2001/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 2001